गैट्स

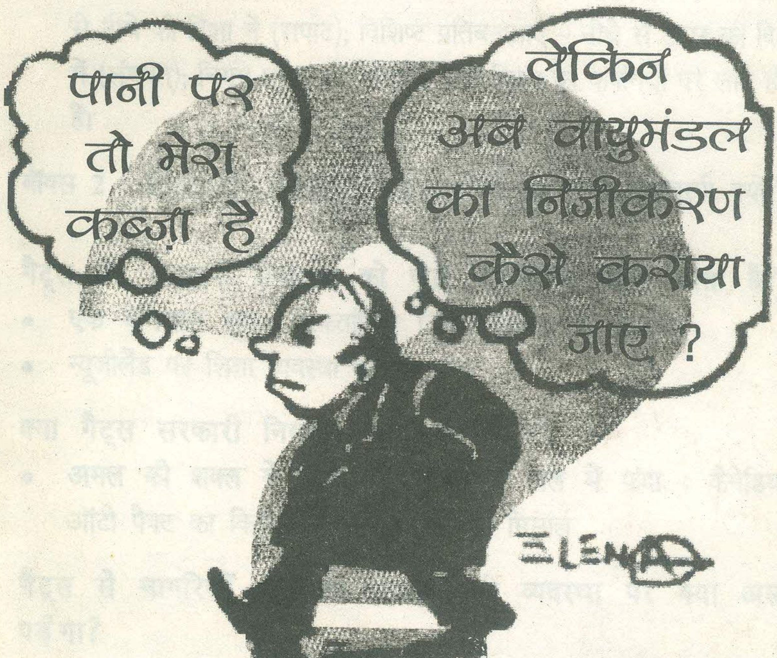

आलेख : सत्यदीप

भीतर के पन्नों पर...

- **गैट्स और डब्ल्यूटीओ के बारे में चंद बातें:** क्या, कब, क्यों, कैसे?
    - **बॉक्स 1 :** 'सेवाओं' का वे क्या मतलब निकालते हैं।
    - असमान उपभोग

- **गैट्स समझौते में 'व्यापार' की क्या संभावनाएं हैं?**
    - **व्यापार के परे –** 'आपूर्ति के चार तरीके' : सीमा पार से आपूर्ति; विदेश में उपभोग; व्यावसायिक उपस्थिति; 'विदेशी नागरिकों की आवाजाही'
    - **नियम असल में कैसे काम करते हैं :** सामान्य उत्तरदायित्व – ऊपर से नीचे की दिशा में (सपाट); विशिष्ट प्रतिबद्धताएं – नीचे से ऊपर की दिशा में (लंबवत); नियम घरेलू और विदेशी दोनों किस्म की कंपनियों पर लागू होते हैं।

- **बॉक्स 2 :** शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े व्यवसाय की इतनी दिलचस्पी क्यों?

- **गैट्स में 'सरकारी सेवाओं' को कैसे परिभाषित किया जाता है?**
    - **एक बेमिसाल झूठ :** लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को ख़तरा:
    - न्यूजीलैंड की शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण

- **क्या गैट्स सरकारी नियंत्रण को चलने देगा?**
    - **अमल की शक्ल में गैट्स – लोकतंत्र के गले में फंदा :** कैनेडियन ऑटो पैक्ट का किस्सा; कैरेबियन केलों की मिसाल

- **गैट्स से नागरिकों के लिए सेवाओं की व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?**
    - **सार्वजनिक का निजी में तब्दील होना**
    - ऐसा किसके हित में?

- **बॉक्स 3 : 'पूर्ण-लागत वसूली' :** गैट्स के पानी की लागत
- **बॉक्स 4 : गैट्स के बारे में उनका क्या कहना है।**
- **पर्दे के पीछे**

- **डब्ल्यूटीओ की प्रक्रिया (कारोबारियों के मुनाफ़े के लिए) :** 'ग्रीन रूम' वार्ताएं
- **एक कॉरपोरेट एजेंडा :** सीईओ और उनकी लॉबियां (यूएससीएसआई, ईएसएफ, लोटिस, ...)

- **गैट्स की समय-सारणी**
- **बॉक्स 5 : आप क्या कर सकते हैं** - गैट्स को रोकिए, आज ही हमला बोलिए!

संदर्भ तथा पढ़ने लायक अतिरिक्त सामग्री

परिशिष्ट क : 'गुणवत्ता' का सवाल?

(स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक बनाम निजी : वैश्विक अनुभव)

परिशिष्ट ख : गैट्स की सेवाओं की क्षेत्रवार वर्गीकरण सूची

परिशिष्ट ग : भारत में सेवाओं का उदारीकरण - कुछ मिसालें

गैट्स के बारे में चंद बातें

डब्ल्यूटीओ : क्या, कब, क्यों, कैसे?

"खुले समाज में किसी भी निर्णय के लिए ज़रूरी है कि पहले आम लोग उसके बारे में खुलकर बहस-मुबाहिसा करें।"

– **गैट्स : फैक्ट एंड फिक्शन,** दि डब्ल्यूटीओ सर्विसेज़ सेक्रेटेरिएट

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) वैश्विक व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने वाली एक शक्तिशाली संस्था है। इसकी स्थापना जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड (गैट) वार्ताओं के 'उरुग्वे चक्र' की समाप्ति के बाद की गई थी। अब यह निकाय औद्योगिक वैश्वीकरण के मुख्य संस्थानों में से एक है। यही संस्था है जो गैट, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स), व्यापार संबंधी निवेश उपाय (ट्रिम्स), और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज़ (गैट्स) सहित विभिन्न प्रकार के 'व्यापार नियमों' को क्रियान्वित करता है।

डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों की कुल संख्या 144 है। ये सभी देश गैट्स समझौते से भी जुड़े हुए हैं। **असल में गैट्स का मकसद यह है कि 'सेवाओं' के व्यापार को और उदार बनाया जाए। इसे बुनियादी तौर पर इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि 'अंतर्राष्ट्रीय सेवा बाजार' को जितना हो सके जल्दी से जल्दी फैलाया जाए। इसकी शर्तों में वे सभी 'सेवाएं' शामिल हैं जिनमें निजी, व्यावसायिक प्रदाताओं के किसी भी प्रकार के हित जुड़े रहते हैं। इस व्यवस्था के तहत इन 'सेवाओं' को एक ऐसे तरीके से चलाया जाएगा जो 'व्यापार को कम से कम बाधित करने वाला हो' ताकि उन पर वैश्विक पूंजी का पूरा हमला बोला जा सके।**

'उरुग्वे चक्र' की मेहरबानी से अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं का दायरा 'विनिर्माण (मैन्युफैक्चर्ड) वस्तुओं' के परे जा पहुंचा है। अब इसके दायरे में कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है। इस चक्र की वार्ताओं ने उसके 'व्यापार नियमों' के दायरे को भी और चौड़ा कर दिया है। ये नियम अब तक मुख्य रूप से सीमाशुल्कों और कोटा के निर्धारण आदि पर ही केंद्रित रहते थे जिससे 'व्यापार के मार्ग में आने वाले ग़ैर सीमा शुल्क अवरोधों' पर ध्यान दिया जा सके। इन नियमों में खाद्य सुरक्षा कानून, उत्पाद मानक, निवेश नीति और ऐसे दूसरे घरेलू कानून (उदाहरण के लिए, टैक्स के रूप में मिलने वाले धन से संबंधित नियम) होते थे जो व्यापार को प्रभावित कर सकते थे । डब्ल्यूटीओ के नियमों में अब सरकारों को 'ग़ैर सीमा' नीतियों को अपनाने या क्रियान्वित करने की छूट नहीं मिलती।

गैट्स समझौता अप्रैल 1994 में मंजूर किया गया था। यह सेवाओं के व्यापार से संबंधित पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। 'डब्ल्यूटीओ' समझौते के तहत लागू किए गए 15 समझौतों में से यह भी एक था। इन सभी समझौतों को जनवरी 1995 में स्थापित डब्ल्यूटीओ के तहत लागू किया गया। उरुग्वे चक्र के तमाम दूसरे समझौतों की तरह गैट्स को भी विवाद निपटारा प्रणाली (Dispute Settlement Mechanism) के ज़रिए कानूनन लागू कराया जा सकता है।

बॉक्स 1 : 'सेवाओं' से वे क्या मतलब निकालते है?

'वस्तुओं और सेवाओं' की तरह सेवाओं में भी वे लगभग सारी ही आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो वस्तुओं के निर्माण, कच्चे माल या कृषि उत्पादों से संबंधित नहीं हैं।

"सेवाओं की श्रृंखला जन्म (जच्चा-बच्चा) से लेकर मौत (अंतिम संस्कार); मामूली (जूतों की पॉलिश) से लेकर अत्यावश्यक (हृदय की शल्य चिकित्सा); व्यक्तिगत (बाल काटना) से लेकर सामाजिक (प्राथमिक शिक्षा); सामान्य (घरेलू मदद) से लेकर उच्च तकनीकी (सैटेलाइट संचार); और हमारी इच्छाओं (खिलौनों की बिक्री) से लेकर जरूरतों (जल वितरण) तक सब जगह कायम रहती है।" – **'फेसिंग दि फैक्ट्स', कैनेडियन सेंटर फॉर पॉलिसी ऑल्टर्नेटिव्ज़**

सेवाओं को वस्तुओं की तरह देखने की सोच काफी नई है। पहले आमतौर पर ये माना जाता था कि ज़्यादातर सेवाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि उनका 'वैश्विक व्यापार' बहुत नहीं हो सकता है। आख़िरकार रोगियों की देखभाल या पढ़ाने-लिखाने जैसी गतिविधियों को व्यक्तिगत संवाद और प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना कैसे अंजाम दिया जा सकता है, और, इसलिए हम यह मान चुके थे कि ये गतिविधियां लाजिमी तौर पर स्थानीय दायरे तक ही सिमटी रहेंगी।

परंतु गैट्स प्रणाली ने इस तरह की मासूमियत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। **गैट्स के नियम 'सेवाओं के व्यापार' को प्रभावित करने वाले तमाम पहलूओं पर लागू होते हैं।** इसमें सरकार के विभिन्न स्तरों पर उठाए जाने वाले कदम भी शामिल होते हैं और ये नियम तमाम सेवा क्षेत्रों पर एकसमान रूप से प्रभावी रहते हैं।

इस व्यवस्था के स्वामियों के लिए जो एकमात्र अहमियत वाला 'तथ्य' है वह यह है कि :

"औद्योगिक देशों की लगभग दो तिहाई आर्थिक गतिविधियां और दुनिया की आधे से भी ज़्यादा अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग के तहत आती है। आज यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन चुका है।"

दूसरे शब्दों में, इस क्षेत्र में बेहिसाब पैसा बनाया जा सकता है!

असमान उपभोग : "तीस साल पहले दुनिया भर के कुल निजी उपभोग व्यय में दुनिया की आबादी के सबसे ग़रीब 20 प्रतिशत लोगों का हिस्सा सिर्फ़ 2.3 प्रतिशत था; तीस साल बाद अब इस व्यय में सबसे ग़रीब 20 प्रतिशत आबादी का हिस्सा मात्र 1.3 प्रतिशत रह गया है। दूसरी तरफ, निजी उपभोग व्यय में शीर्षस्थ 20 प्रतिशत आबादी का हिस्सा आज बढ़ते-बढ़ते 86 प्रतिशत तक जा पहुंचा है।"

ज़ाहिर है कि इस हक़ीकत, और खुली सोच के साथ किए जाने वाले किसी भी विश्लेषण से निकलने वाले निष्कर्षों को इन 'वैश्विक व्यापार' वार्ताओं में लगातार नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्वामियों की दुंदुभी का शोर इतना ऊंचा होता है कि उसमें औचित्य का अंश ढूंढ पाने का कोई मतलब नहीं है। और आज तो यह शोर इतना ऊंचा होता जा रहा है कि वे सब आवाज़ें दब गई हैं जो इसके कानों को बहरा कर देने वाले विस्फोट का सामना करने का साहस करती हों।

गैट्स के दो हिस्से हैं : फ्रेमवर्क समझौता, जिसमें सामान्य दायित्वों का उल्लेख है; और राष्ट्रीय अनुसूचियां, जिनमें अपने घरेलू बाजारों में विदेशी सप्लायरों की पहुंच के विषय में अलग-अलग देशों की विशिष्ट प्रतिबद्धताओं को सूचीबद्ध किया जाता है।

गैट्स ने डब्ल्यूटीओ के नियमों को इतनी नाना प्रकार की गतिविधियों तक फैला दिया है कि उसमें अब बैंकिंग, कूड़ा बीनने, पर्यटन, परिवहन और खुदरा व्यापार जैसी गतिविधियां तक भी शामिल कर ली गई हैं। जिन 12 क्षेत्रों में गैट्स के नियम लागू होते हैं उनके तहत 160 'सेवाएं' सूचीबद्ध हैं। (**इस सूची के लिए परिशिष्ट-ख को देखें**)। प्रमुख दूरसंचार और वित्तीय सेवा विनियमन समझौते पहले ही संपन्न किए जा चुके हैं। गैट्स के एजेंडा में गैट के नियमों के तहत पानी और जल व्यवस्था को भी शामिल किया गया है जिसमें नगरपालिका की जलापूर्ति व्यवस्था भी शामिल है। अब स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा व्यवस्था को भी इस दायरे में घसीटने की कोशिशें की जा रही हैं।

गैट्स में 'व्यापार' की क्या संभावना है?

व्यापार के दायरे के परे

गैट्स में सेवाओं के चार किस्म के व्यापार, या 'आपूर्ति पद्धतियों' के बीच फर्क किया गया है:

1. **सीमा पार से आपूर्ति :** एक देश से दूसरे देश में भेजी जाने वाली सेवाएं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉलें, इ-कॉमर्स, विदेशों में स्थित कॉल सेंटर सर्विसिंग ग्राहक, अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं आदि शामिल होती हैं;

2. **विदेशों में उपभोग :** एक देश के उपभोक्ता किसी दूसरे देश में सेवाओं का उपभोग करते हैं। इसमें किसी विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने, विदेश जाकर इलाज कराने, सैलानी के तौर पर दूसरे देशों में घूमने-फिरने जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं;

3. **व्यावसायिक मौजूदगी :** एक देश की कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश में स्थानीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी सहायक कंपनी या शाखाएं स्थापित करना। दूसरे शब्दों में, वहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करना। इसमें सेवाओं (मिसाल के तौर पर बैंक की शाखाएं, विद्युत संयंत्र, पर्यटन विहार) के सिलसिले में किया जाने वाला तमाम विदेशी निवेश शामिल होता है;

4. **विदेशी नागरिकों की आवाजाही :** सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पेशेवरों, और कुशल व अकुशल श्रमिकों का एक निश्चित अवधि के लिए अपने देश से दूसरे देश में जाना। इसमें एकाउंटेंसी और कंसल्टेंसी आदि कंपनियों से थोड़े-थोड़े समय के लिए विदेशों में भेजे जाने वाले कर्मचारी या विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले निर्माण कर्मचारी आदि शामिल होते हैं। स्थायी पलायन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

इसलिए ये बात साफ रहनी चाहिए कि गैट्स सिर्फ एक 'व्यापार' समझौता नहीं है। इसमें ऐसी बहुत सारी गतिविधियां शामिल हैं जिन्हें परंपरागत रूप से हम 'व्यापार' नहीं मानते रहे हैं। और यह आर्थिक नीति के व्यापक क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है।

इसके नियम कैसे काम करते हैं

"डब्ल्यूटीओ के प्रत्येक सदस्य देश की राष्ट्रीय अनुसूची में वे सेवाएं सूचीबद्ध होती हैं जिनके लिए वह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पहुंच की गारंटी देने को तैयार है। ऐसी प्रतिबद्धताएं सभी

सदस्य देशों के लिए निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होती हैं। विभिन्न देशों के पास इस बात की पूरी आजादी होती है कि वे किन सेवाओं के बारे में अपनी प्रतिबद्धताएं रखना चाहते हैं।"

– **गैट्स : फैक्ट एंड फिक्शन,** दि डब्ल्यूटीओ सर्विसेज़ सेक्रेटेरिएट

ये समझौता दो तरह से काम करता है : एक, 'ऊपर से नीचे की दिशा में' केंद्रित नियम, जो समझौते में सूचीबद्ध सभी 160 सेवाओं पर लागू होते हैं। यदि ये सेवाएं 'राष्ट्रीय अनुसूचियों' में शामिल न हों तब भी उन पर यह नियम अवश्य लागू होते हैं। दूसरे नंबर पर 'नीचे से ऊपर की तरफ' केंद्रित नियम होते हैं जो विभिन्न सरकारों को इस बात की छूट देते हैं कि वे किन सेवाओं का चुनाव करना चाहती हैं।

सामान्य उत्तरदायित्व – ऊपर से नीचे (क्षैतिज) की दिशा में केंद्रित नियम :

गैट्स के तहत मूलभूत उत्तरदायित्व सभी सेवा क्षेत्रों में लागू होते हैं। इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूटीओ के किसी भी सदस्य देश में उपलब्ध सभी सेवाएं इन नियमों के दायरे में आती हैं।

'सर्वाधिक पसंदीदा देश' (एमएफएम) (गैट्स अनुच्छेद II) एक ऐसा ही मूलभूत उत्तरदायित्व है जो सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के सभी सेवा क्षेत्रों पर लागू होता है। इसका मतलब है कि उस देश को सभी विदेशी सेवाओं और सेवा आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक जैसा बर्ताव करना होगा। यह नियम डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे सामाजिक या राजनैतिक कारणों के लिहाज से अपने विभिन्न व्यापारिक सहभागियों के बीच फ़र्क न करें। परंतु इसके बावजूद विभिन्न देश इस नियम के प्रभाव से कुछ सेवाओं को बाहर रखने का प्रावधान कर सकते हैं। यह छूट केवल 10 वर्षों तक ही कायम रहती है।

उदाहरण के लिए, एमएफएन का नियम सरकारों को उन कंपनियों के खिलाफ़ बदले की कार्रवाई करने से रोकता है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली सरकारों (यहां तक कि जो सरकारें अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित मानवाधिकारों को भी नहीं मानती) के साथ भी काम कर रही हैं। जब दक्षिण अफ्रीका ने 1997 में अपने दूरसंचार उद्योग को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना शुरू किया था, तो वहां की सरकार सुनिश्चित करना चाहती थी कि अश्वेत परिवार टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ जाएं या जुड़े रहें। इस काम के लिए उसने मलेशिया में इसी तरह के हालात में काम कर चुकी मलेशियाई कंपनियों को ठेका दिया। परंतु यदि कोई देश एक निवेशक के मुक़ाबले दूसरे निवेशक को ज़्यादा 'तरजीह' देता है तो कोई भी दूसरा सदस्य देश उसे एमएफएन नियम के उल्लंघन के आरोप में चुनौती दे सकता है।

विशिष्ट प्रतिबद्धताएं - नीचे से ऊपर (लंबवत) की दिशा में केंद्रित नियम :

केवल उन सेवाओं पर लागू होने वाली वे विशिष्ट प्रतिबद्धताएं जिन्हें सरकार ने अपनी 'राष्ट्रीय अनुसूची' में शामिल किया है।

डब्ल्यूटीओ का प्रत्येक सदस्य अपनी अनुसूची में इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि अनुबंध के नियम उसके विभिन्न सेवा क्षेत्रों पर अलग-अलग किस प्रकार लागू होंगे। दोनों तरह के नियमों में से ये ज़्यादा दूरगामी महत्व के हैं।

'राष्ट्रीय व्यवहार' नियम (गैट्स अनुच्छेद XVII) का मतलब है कि विदेशी कंपनियों को भी आवश्यक रूप से उसी तरह देखा जाए जिस तरह घरेलू कंपनियों को देखा जाता है। हालांकि उनके साथ घरेलू कंपनियों के मुक़ाबले बेहतर व्यवहार तो किया जा सकता है परंतु उनके साथ घटिया व्यवहार करने की इजाजत नहीं होती है। क्योंकि गैट्स की शर्तों में व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) भी शामिल है इसलिए यह नियम सरकार के सामने उपलब्ध नीतिगत विकल्पों को गहरे तौर पर सीमित कर देता है। इससे विशिष्ट अनुसूचित सेवाओं के परे अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, निवेश से मुख्यतः स्थानीय लोगों को ही लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित सरकार इस आशय के कानून या कार्यक्रम नहीं बना सकती जिनके जरिए विदेशी कंपनियों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, प्रबंधकों और कर्मचारियों का लाजिमी तौर पर प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जा सके। गैट्स में सरकार को स्थानीय व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप करने की छूट नहीं मिलती।

'बाजार तक पहुंच' के नियम (गैट्स अनुच्छेद XVI) सेवाओं पर लगी सभी मात्रात्मक सीमाओं में कटौती कर देते हैं। यहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मात्रात्मक सीमाएं विदेशी और घरेलू कंपनियों पर लागू होती हैं या केवल विदेशी कंपनियों पर ही लागू होती हैं। यदि कोई देश अपनी राष्ट्रीय अनुसूची में सूचीबद्ध क्षेत्र के सेवा आपूर्तिकर्ताओं या दुकानों की संख्या को सीमित करने का प्रयास करता है तो डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटारा निकाय के माध्यम से उसे चुनौती दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार किसी पारिस्थितकीय रूप से नाजुक इलाके में होटलों की संख्या सीमित करने की कोशिश करती है तो उसकी ऐसी कोशिशों को चुनौती दी जा सकती है।

दूसरे शब्दों में, ये नियम स्थानीय और विदेशी कंपनियों को दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी तरह काम करने की आज़ादी देने का शक्तिशाली हथियार हैं।

विकसित और विकासशील, दोनों श्रेणी के देशों के लिए इस बात का अनुमान लगाना लगभग असंभव रहा है कि अपनी गैट्स प्रतिबद्धताओं पर उन्हें क्या सीमाएं लगानी चाहिए। इस प्रक्रिया में जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की जाती हैं व्यवहारतः उन्हें पलटा नहीं जा सकता है। अधिक से अधिक कोई सरकार एक क्षेत्र में छूटों के लिए दूसरे क्षेत्र में उदारीकरण को रोक सकती है और वह भी तब जब वह 'सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को संतुष्ट कर सके'। जैसा कि ब्रिटेन की सरकार ने एक दफा कहा था : "इन प्रतिबद्धताओं का मकसद सरकारों को बाध्य करना और कंपनियों के लिए एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करना है जिसमें वह आने वाली परिस्थितियों का अनुमान लगा सकें।" **जाहिर है कि इससे नागरिकों को यह तय करने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है कि भविष्य में सेवाओं को कैसे नियंत्रित किया जाएगा।** इतना ही नहीं, विकासशील देशों की सरकारों को इस बात के लिए भी आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे संपन्न औद्योगिक देशों को लंबे समय से बकाया पड़ी और विकासशील देशों के लिए लाभदायक प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित कराने के लिए 'सेवा' वार्ताओं में रियायतें दें। विकसित देशों पर दबाव डाला जा सकता है कि वे अपनी कृषि सब्सिडियों को समाप्त करें।

बॉक्स 2 : स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ी पूंजी की इतनी दिलचस्पी क्यों है?

दुनिया भर की कंपनियां स्वास्थ्य और शिक्षा को एक ऐसा व्यापक और आकर्षक बाजार मानती हैं जिसका सबसे आसानी से और सबसे अच्छी तरह दोहन किया जा सकता है। इन दो सेवाओं पर होने वाले वैश्विक व्यय के अनुमान से पता चलता है कि इन क्षेत्रों पर हर साल 5.5 से 6 खरब डॉलर तक खर्च होता है। इस व्यय में से एक तिहाई से ज़्यादा अकेले शिक्षा पर खर्च होता है। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि कनाडा जैसे अतिविकसित शैक्षणिक ढांचे वाले देश भी इस क्षेत्र के निर्यात बाज़ार में पैर जमाना चाहते हैं। लगभग 30 देशों ने 1994 में गैट्स के तहत शैक्षणिक सेवाओं के विषय में विशिष्ट प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थीं। ये प्रतिबद्धताएं प्राथमिक से वयस्क शिक्षा तक विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लागू होती हैं। इस तरह की प्रतिबद्धताएं इन देशों को बाध्य करती हैं कि वे संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धियों को भी समान पहुंच उपलब्ध कराएं।

ये नियम घरेलू और विदेशी, दोनों प्रकार की कंपनियों पर लागू होते हैं

गैट्स के नियम परंपरागत 'राष्ट्रीय व्यवहार' सिद्धांत से आगे तक जाते हैं। उदाहरण के लिए,

'बाजार तक पहुंच' के नियम घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों पर लागू होते हैं। **असल में, गैट्स के नियम तमाम निगमों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि घरेलू और विदेशी सभी प्रकार की कंपनियां बाज़ार में दाखिल हो सकें।**

डब्ल्यूटीओ प्रायोजित परीक्षण से गुजरने के बाद सरकारें ये भी महसूस करेंगी कि घरेलू सेवा प्रदाताओं की गुणवत्ता की रक्षा के लिए वे जो भी नीतिगत उपाय कर सकती हैं उनसे गैट्स के 'घरेलू नियमन' नियमों का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, ऐसे उपायों में शिक्षकों जैसे 'सेवा पेशेवरों' को प्रभावित करने वाली 'अर्हता आवश्यकता और प्रक्रियाएं' या ऐसी 'लाइसेंसिंग आवश्यकताएं' भी शामिल हैं जिनमें खुदरा क्षेत्र में नियोजन संबंधी रियायतों पर नजर रखने के लिए ज़ोनिंग प्रतिबंधों को शामिल किया जा सकता है।

गैट्स में 'सार्वजनिक सेवाओं' को कैसे परिभाषित किया जाता है?

एक बेमिसाल झूठ : लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को ख़तरा

हालांकि गैट्स में तमाम सेवाओं को समाहित किया जाता है परंतु फिर भी बहुत सारे सरकारी अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों को लगता है कि सार्वजनिक सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उनके मुताबिक गैट्स में स्वास्थ्य, शिक्षा या जन सुविधाओं जैसी उन सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है जो "सरकारी प्राधिकार को क्रियान्वित करने में उपलब्ध कराई जाती हैं" (अनुच्छेद 1.3B)। परंतु गैट्स में सरकारी सेवाओं को बहुत संकीर्ण ढंग से परिभाषित किया गया है – "ऐसी कोई भी सेवा जिसे न तो व्यावसायिक आधार पर और न ही एक या अधिक सेवा आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा में उपलब्ध कराया जा रहा है" (अनुच्छेद 1.3C)। जब कोई देश गैट्स के उल्लंघन के लिए डब्ल्यूटीओ के विवाद पैनल में किसी अन्य देश की सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित नीतियों को चुनौती देना चाहे तो यह अपवाद लगभग निरर्थक हो जाता है।

दुनिया भर की सरकारें सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता और फंडिंग, दोनों के विनियमन और निजीकरण के लिए क़दम उठा रही हैं। कई बार वे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के तहत शर्त के तौर पर और कई बार विश्व बैंक की सलाह पर ऐसा कर रही हैं। कुछ मामलों में सरकारों ने सीधे-सीधे सार्वजनिक निकायों को बेचा भी है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में रेलवे, टेलीफोन, बिजली, गैस और जल प्रणालियों को 'लाभ-हेतु' निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया गया है। पिछले कुछ सालों के दौरान हमारे देश में भी यही प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ कुछ उदाहरणों पर गौर कीजिए : वीएसएनएल को टाटा के हाथों बेच दिया गया है, दिल्ली

में विद्युत वितरण व्यवस्था का निजीकरण कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी के एक हिस्से पर रेडियस वॉटर लिमिटेड नामक कंपनी को एकछत्र अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। यह कंपनी कैलाश सोनी के स्वामित्व में है और उसे ये अधिकार आसपास के इलाके में स्थित उद्योगों को पानी मुहैया कराने के लिए दिए गए हैं। अपर गंगा नहर के ज़रिए टिहरी बांध से दिल्ली को पानी मुहैया कराने का अनुबंध डेग्रीमॉट नामक फ्रांसीसी कंपनी को दे दिया गया है। इस सिलसिले में पाइप लाइनों पर काम शुरू हो चुका है और इसके विरोध में स्थानीय लोग बड़े पैमाने पर आवाज़ उठा रहे हैं। वे इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि जिस पानी से अब तक वे अपने खेतों में सिंचाई करते थे अब उन्हें उसी पानी से महरूम किया जा रहा है और पानी की भारी कमी के हालात में उनकी आजीविका के साधन ख़त्म होते जा रहे हैं।

उत्तरी अमरीका में स्कूली प्रणाली में भी निजीकरण के कई क़दम उठाए गए हैं। संयुक्त राज्य में कुछ स्कूल बोर्डों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को व्यावसायिक निगमों के हाथों में सौंप दिया गया है। कनाडा में वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया स्थित एक स्कूल बोर्ड में उन अभिभावकों के लिए किंडरगार्टन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है जो 'प्रयोक्ता शुल्क' अदा कर सकते हैं। अमेरिका में विभिन्न आंदोलनों से जुड़े लोगों को भय है कि ये पहलकदमियां देश के दरवाजे उन अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक हितों के लिए खोल देंगी जो सार्वजनिक शिक्षा में बाजार की पहुंच को स्थापित करने के चक्कर में हैं। हमारे देश में भी दिल्ली सरकार की ऐसी कोशिश सफल नहीं हो पाई हालांकि उसने बाहरी दिल्ली में स्थित स्कूलों के "खराब नतीजों" का हवाला देते हुए कुछ सरकारी स्कूलों के निजीकरण की कोशिश जरूर की थी। उस प्रस्तावित योजना में निजी हाथों में जाने वाले स्कूलों में फीस को 100 रुपए तक बढ़ाए जाने की छूट शामिल थी। गौरतलब है कि इन स्कूलों के ज्यादातर बच्चे कम आय वाले परिवारों से आते हैं। ऐसे में इस तरह का कोई भी कदम इन बच्चों को स्कूल के दायरे से बाहर धकेल देता।

विभिन्न सरकारें कई अन्य सार्वजनिक सेवाओं को भी नई शक्ल देने की कोशिश कर रही हैं। जिन सार्वजनिक सेवाओं को सीधे-सीधे निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है उन्हें कहा जा रहा है कि वे अपने विभिन्न कार्यों को 'लाभ-हेतु' कंपनियों से करवाएं या अनिवार्य प्रतिस्पर्धी बोलियों की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने इमारतों जैसे बुनियादी ढांचे और सेवा मुहैया कराने की प्रक्रिया को अलग-अलग कर दिया है और सार्वजनिक-निजी 'सहभागिताओं' के माध्यम से बुनियादी ढांचे का निजीकरण कर दिया गया है। इन निकायों के चेहरे पर 'सार्वजनिक' का मुखौटा तो कायम है परंतु इसका मकसद सिर्फ यही है कि आम जनता उनके निजीकरण पर उंगली न उठाए। इस तरह के उदाहरणों में ब्रिटेन का प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव (पीएफआई), बिल्ड-ओन-ट्रांस्फर (बीओटी) योजनाएं और बिल्ड-ओन-ऑपरेट-एण्ड-ट्रांस्फर (बूट) परियोजनाओं

को गिनाया जा सकता है। कुछ सरकारों ने कई जगह आंतरिक बाजारों की भी शुरुआत की है। इन बाजारों के जरिए एक सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के भीतर ही खरीददारों को प्रदाताओं से अलग कर दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में 'बाजारोन्मुखी' पद्धतियों और सिद्धांतों का समावेश करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रबंधन का सहारा लिया जा रहा है। जैसा कि पब्लिक सर्विसेज़ इंटरनेशनल रिसर्च यूनिट के डेविड हॉल कहते हैं : **"सार्वजनिक सेवा संगठनों के उद्योगीकरण.. में आमतौर पर बिजनेस एकाउंटिंग को शामिल किया जाता है. .. और यह भी निजीकरण जितना ही महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।"** भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में एमटीएनएल और बीएसएनएल को प्रत्यक्षतः इस क्षेत्र में और अधिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक उद्यमों के रूप में गठित किया गया था।

गैट्स के तहत सार्वजनिक सेवाओं के सामने आने वाली चुनौतियां लंबे दौर में एक और रूप भी ले सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि ब्रिटिश सरकार किसी अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी को ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के तहत चलने वाले ऐसे सार्वजनिक अस्पताल को खरीदने (सार्वजनिक-निजी सहभागिता का एक स्वरूप) की छूट देने से मना कर देती है जिसे पीएफआई योजना के तहत स्थापित किया गया था, तो अमरीकी सरकार ब्रिटेन को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटारा निकाय के समक्ष चुनौती दे सकती है। इसी प्रकार, यदि कनाडा का एल्बर्टा प्रांत 'लाभ-हेतु' अस्पतालों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने की छूट दे देता है जिन्हें अब तक केवल सार्वजनिक अस्पताल ही उपलब्ध कराते थे तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह एमएफएन नियम के तहत घरेलू या विदेशी सभी प्रकार के निजी स्वास्थ्य निकायों को इसी प्रकार की छूट देने की व्यवस्था करे।

न्यूजीलैंड की शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण

न्यूजीलैंड की सरकार ने अपनी शिक्षा सेवाओं को भी गैट्स नियमों के अंतर्गत शामिल कर दिया था। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है कि अब न्यूजीलैंड की शिक्षा नीति हमेशा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के अधीन रहेगी न कि उसके नागरिकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अधीन।

इतना ही नहीं, चूंकि सेवा क्षेत्र में निजी उद्यमों को भी सार्वजनिक उद्यमों जैसी ही सब्सिडियां मिलती हैं और शिक्षा व्यवस्था भी खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर संचालित होती है इसलिए यदि सरकार किसी क्षेत्र को 'शिक्षा' के भीतर रखने के लिए तैयार नहीं होती है तो भी उससे असल में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में गैट्स पूरे शिक्षा क्षेत्र को ही 'ग़ैर-सरकारी सेवा' के रूप में चिन्हित करेगा और फलस्वरूप उसे निजी क्षेत्र के लिए खुला समझेगा। नतीजतन, उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नियमों के अनुसार मुक्त प्रतिस्पर्धा रहेगी।

गैट्स का आशय यह है कि राष्ट्रीय सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं जो विदेशी निजी प्रदाताओं के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, सरकार देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या की कोई सीमा तय नहीं कर सकती। यदि किसी दूसरे देश की निजी कंपनी यहां विश्वविद्यालय खोलना चाहती है तो सरकार के पास उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। **इतना ही नहीं, विदेशी उद्यमों को वह सब्सिडियां भी लाजिमी तौर पर मिलेंगी जो स्थानीय निजी उद्यमों को दी जा रही हैं।** और अगर सरकार गैट्स के नियमों की अनदेखी करने का दुस्साहस करती है तो उसे डब्ल्यूटीओ के मंच पर घसीट लिया जाएगा और वहां न केवल 'विवाद का निपटारा' किया जाएगा बल्कि गद्दार सरकार को या तो पीछे हटना पड़ेगा या उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालय अपने प्रचार और मार्केटिंग पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं। दूसरी तरफ, विश्वविद्यालय के लेक्चररों को स्तर से भी कम पैसा मिलता है और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती जा रही है। जाहिर है कि गैट्स इस स्थिति को और खराब कर देगा।

सरकारी सेवा क्या नहीं है?

गैट्स व्यवस्था के तहत, यदि

- **कोई सरकार अपनी सार्वजनिक सेवाओं के किसी भी हिस्से को किसी बाहरी कंपनी को ठेके पर देती है (मसलन, साफ-सफाई या कैटरिंग);**

या

- **निजी ('लाभ-हेतु' या स्वैच्छिक) कंपनियां ही ऐसी सेवाएं भी मुहैया कराती हैं; जो सरकार भी मुहैया करा रही है (उदाहरण के लिए यदि सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूल भी मौजूद हैं या वहां सार्वजनिक और निजी फंडिंग का मिश्रण है);**

तो...

... डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटारा पैनल उन सेवाओं को 'ग़ैर सरकारी सेवाएं' घोषित कर देगा और इस प्रकार उन्हें भी गैट्स के नियमों से कोई छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी 'सार्वजनिक' सेवा विदेशी निजी संचालकों से प्रतिस्पर्धा का शिकार अवश्य होगी। ऐसी सेवाएं अब 'सार्वजनिक' शब्द के अर्थ में किसी भी तरह सार्वजनिक नहीं रहेंगी।

गैट्स का मिशन यही है कि सेवाओं के वैश्विक व्यापार को 'मुक्त' करने के लिए तमाम संभव अवरोधों को हटाया जाए। **गैट्स के तहत, शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित को 'व्यापार अवरोध' माना जाएगा :**

- सेवा प्रदाताओं (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि) की कुल संख्या पर सीमाएं;
- सेवाओं, विनिमय या परिसंपत्तियों के कुल मूल्य पर सीमाएं;
- सेवा प्रदाताओं की कुल संख्या और सेवाओं की कुल मात्रा पर सीमाएं;
- किसी विशिष्ट क्षेत्र में या किसी विशेष सप्लायर द्वारा काम पर रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पर सीमा;
- विशेष प्रकार के वैधानिक निकायों या संयुक्त उद्यमों (स्कूलों, कॉलेजों, आदि) के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति को बाधित या अनिवार्य करने वाले कदम;
- विदेशी पूंजी की सहभागिता पर प्रतिशत की सीमा या कुल विदेशी निवेश के मूल्य पर सीमा।

कहानी का सबक है : यदि सरकार सार्वजनिक शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाती है और एक 'सार्वजनिक सेवा' के रूप में उसकी गुणवत्ता में सुधार करने का 'दुस्साहस' करती है तो उसे गैट्स के नियमों के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा।

क्या गैट्स सरकारी नियंत्रण को स्वीकार करेगा?

"क्योंकि सेवाओं के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में ही संपन्न होता है... इसलिए उसकी आवश्यकताएं प्रारंभ से ही राष्ट्रीय घरेलू कानूनों और नियंत्रण को लाजिमी तौर पर प्रभावित करेंगी।"

– दि डब्ल्यूटीओ सर्विसेज़ सेक्रेटेरिएट

"कोई भी सरकारी कार्रवाई, जिसका चाहे कुछ भी मकसद हो – पर्यावरण की रक्षा, श्रम मानकों को लागू करना, उपभोक्ताओं की रक्षा करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, सार्वभौमिक सेवा सुनिश्चित करना या कोई भी अन्य लक्ष्य प्राप्त करना – सिद्धांततः गैट्स की जांच और गैट्स के तहत संभावित चुनौती के दायरे से परे है।"

– **फेसिंग दि फैक्ट्स,** कैनेडियन सेंटर फॉर पॉलिसी ऑल्टर्नेटिव्ज़

गैट्स के हिमायती गैट्स की प्रस्तावना के उस वाक्य को अक्सर उद्धृत करते हैं जिसमें कहा गया है कि "राष्ट्रीय नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी सदस्यों को हक़ है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी सेवा की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और उस पर नए नियमन प्रावधान लागू कर सकते हैं।" परंतु इस सिलसिले में वे इस बात का ज़िक्र करना भूल जाते हैं कि प्रस्तावना में जो कुछ भी कहा गया है उसको कानूनन मनवाया नहीं जा सकता है।

चोरी-छिपे (गोपनीय) हासिल किए गए एक दस्तावेज़ में डब्ल्यूटीओ सचिवालय इस बात को साफ तौर पर चिन्हित करता है कि इस समझौते में "दो ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिनके बीच भारी टकराव खड़ा हो सकता है : व्यापार को फैलाना बनाम सरकारों के नियंत्रण संबंधी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना"। जाहिर है कि गैट्स की प्राथमिकता सिर्फ व्यापार को फैलाना है। नतीजतन, मिसाल के तौर पर,

- जहां कोई सेवा क्षेत्र गैट्स के नियमों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, वहां टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करने की सरकार की कोई भी कोशिश बेहद कठिन रहेगी;

- किसी विकासशील देश की सरकार द्वारा अपने शिशु उद्योगों को पूर्ण विकसित विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए बनाई जाने वाली कोई भी नीति, जैसा कि तमाम दक्षिण एशियाई 'टाइगर' अर्थव्यवस्था अपने विकास के दौर में सफलतापूर्वक कर पाई थीं, उसे डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी जा सकती है।

- इस आशय का नियम लागू करने की कोशिश, कि देश के भीतर होने वाले निवेश से आवश्यक रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज को ही लाभ होना चाहिए। मसलन, उन्हें स्थानीय लोगों को काम पर रखने या स्थानीय पदार्थों का प्रयोग करने के लिए बाध्य करना गैट्स के नियमों के तहत दंड का कारण बन सकता है।

उदाहरण के लिए, गोआ में स्थानीय लोगों के लिए रेस्तरां और टैक्सी आदि में छूट देना गैट्स के नियमों का उल्लंघन है। भारत सरकार ने इन नीतियों को पर्यटन क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धताओं के अपवाद के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया था।

गैट्स का क्रियान्वयन - लोकतंत्र के गले में फंदा !!

"गैट्स के फलस्वरूप सेवाओं के 'विनियमन' या स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों के प्रति ख़तरों के बारे में व्यक्त की जाने वाली तमाम चिंताएं अक्सर इस संभावना पर आकर

सिमट जाती हैं कि ऐसे किसी भी कदम को विवाद निपटारा प्रक्रिया में चुनौती दी जा सकती है जिसे पक्षपातपूर्ण या ग़ैरज़रूरी तौर पर प्रतिबंधात्मक माना जा रहा है।"

– **गैट्स : फैक्ट्स एंड फिक्शन,** दि डब्ल्यूटीओ सर्विसेज़ सेक्रेटेरिएट

आलोचक इस बारे में आगाह करने से नहीं चूकते कि डब्ल्यूटीओ के उद्योग हितैषी नियम और उसकी शक्तिशाली क्रियान्वयन प्रणाली का दोहरा हमला उपभोक्ताओं, श्रमिकों और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के मक़सद से बनाए गए नियमों के लिए ख़तरा पैदा कर देगा। ये हमला दुनिया भर में आम नागरिकों द्वारा लड़कर जीते गए लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़तरे में डाल देगा।

दरअसल अब इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि डब्ल्यूटीओ का झुकाव जनहित के ख़िलाफ़ रहा है। डब्ल्यूटीओ के तहत जितने भी मामलों का निपटारा किया गया है उन सबका अध्ययन करने के बाद यह बात साफ जाहिर हो जाती है। डब्ल्यूटीओ में अभी तक किसी भी पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून को जो चुनौती दी गई है उसे हर बार ग़ैरकानूनी ही घोषित किया गया है। अमरीका की आधिकारिक स्थिति यह है कि तमाम देशों के कानूनों को डब्ल्यूटीओ की नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए लाजिमी तौर पर बदला जाना चाहिए। एक पराजित होती जा रही सरकार के सामने तीन ही विकल्प हैं :

- डब्ल्यूटीओ की अपेक्षाओं के अनुरूप एक निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने कानूनों में बदलाव करे;
- या जीतने वाले देश को स्थायी मुआवजा चुकाए;
- या, व्यापार के क्षेत्र में नाकाबिले बर्दाश्त प्रतिबंध झेलने को तैयार रहे।

यहां हम ऐसे दो उदाहरण दे रहे हैं जिनमें गैट्स के नियमों का सहारा लेकर विवादों का निपटारा किया गया था :

- **कैनेडियन 'ऑटो पैक्ट' की कहानी :** इस कानून का मक़सद कंपनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना था कि वे अपनी गाड़ियों को स्थानीय बाज़ार में ही बेचें जिससे कनाडा में (कल-पुर्जों की खरीद के ज़रिए) निवेश हो और नए-नए रोज़गार पैदा हों। यह कनाडा की औद्योगिक रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। परंतु 'घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन' देने की इन कोशिशों को ही तो गैट्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर कोने से ख़त्म कर देना चाहता है। 1999 में यूरोपीय और जापानी वाहन निर्माताओं ने 'ऑटो पैक्ट' को डब्ल्यूटीओ में चुनौती दे दी। **डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटारा पैनल ने इस मुकदमे में फैसला सुनाया कि 'ऑटो पैक्ट' गैट्स की एमएफएन धारा और राष्ट्रीय व्यवहार उत्तरदायित्व सहित डब्ल्यूटीओ की कई संधियों का उल्लंघन करता है।**

• **कैरेबिआई केलों का किस्सा :** 1997 में डब्ल्यूटीओ के एक पैनल ने निर्णय दिया कि यूरोप में कैरिबियाई केलों को दी जा रही प्राथमिकता पूरी तरह गैरकानूनी है। **अमरीका ने इस दलील के हक़ में गैट्स का सहारा लिया था कि यूरोपीय देश कैरिबियाई देशों (जो यूरोप के उपनिवेश रह चुके हैं) के ग़रीब केला किसानों के माल को अपने बाज़ारों में जो प्राथमिकता दे रहे हैं उससे मध्य अमरीका की अमरीकी कंपनियों के विरुद्ध अनुचित भेदभाव होता है।** यूरोपीय संघ ने गैट्स के तहत इस व्यवस्था के लिए अपवादस्वरूप रियायत की मांग नहीं की थी। फलस्वरूप उसे एक नई नीति का प्रस्ताव रखना पड़ा जिसके अंतर्गत कहा गया था कि अमरीकी दावे अभी भी डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। परंतु डब्ल्यूटीओ ने अमरीकी दावे के पक्ष में यूरोप के आयातकों पर तब तक के लिए 20 करोड़ डॉलर के आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए जब तक कि यूरोपीय संघ अपनी नीति में डब्ल्यूटीओ की मांगों के अनुरूप परिवर्तन नहीं कर लेता है। यदि यूरोपीय संघ डब्ल्यूटीओ की मांगों के अनुरूप बदलाव कर लेता है तो ग़रीब कैरिबियाई देशों के लगभग दो लाख छोटे किसानों की आजीविका समाप्त हो जाएगी। इन देशों में केले की खेती ही काम और आमदनी का मुख्य ज़रिया हैं और यहां के पर्वतीय भूभाग में अन्य फसलों की खेती नहीं हो सकती है। कैरेबियाई देशों के महिला संगठनों के अनुसार, "हमारे केलों के लिए सुनिश्चित बाज़ार मिल जाने से विंड्सवर्ड टापुओं के इस उपक्षेत्र में हज़ारों परिवारों को एक हद तक सुरक्षा हासिल हो गई थी और इससे हमें प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का जीवन मुहैया होने लगा था। अब तो फिर से हमारे वे तमाम संसाधन छिन जाएंगे जिनके सहारे हम अपने परिवारों और देशों का भविष्य निर्मित कर सकते थे।"

अमेरीका ने एक ऐसे उत्पाद के विरुद्ध लड़ाई क्यों छेड़ी जिसको वह खुद पैदा नहीं करता?

शिक्विटा नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी मध्य अमरीका में ऐसे बागानों की मालिक है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय फल बाजार में फलों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति होती है। 1998 में शिक्विटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्ल लिंडनर ने अमरीका की दोनों मुख्य राजनैतिक पार्टियों को 5 लाख डॉलर से भी ज्यादा चंदे दिए थे। मध्य अमरीका में स्थित विशालकाय शिक्विटा बागान स्वास्थ्य के विषय में श्रमिकों के अधिकारों का भयानक उल्लंघन करते रहे हैं। इन बागानों में श्रमिकों को संगठित होने से रोका जाता है। परंतु इसके बावजूद अमरीकी सरकार ने इन बागानों के हित में कोई कसर नहीं उठा रखी।

गैट्स के तहत नागरिकों को मिलने वाली सेवाएं कितनी भिन्न होंगी?

सार्वजनिक को निजी में तब्दील करना : 'आख़िरी सरहद' की तरफ दौड़

मौजूदा विनियमन और निजीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय - और अंतर्राष्ट्रीय - कंपनियों ने अचानक ही नाना प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं में दखल बनाना शुरू कर दिया है। ये कंपनियां विशेष रूप से जन सुविधाओं (पानी, ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन), कूड़ा इकट्ठा करने, जेलों, आवास, सामाजिक सेवाओं और सहायक सेवाओं (सफाई, कैटरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी) के क्षेत्रों में सक्रिय हैं। गैट्स के माध्यम से उन्हें और भी बहुत सारी सेवाओं में घुसने का ज़रिया मिल जाएगा।

मसलन, यूरोपीय संघ चाहता है कि डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देश अपनी जलापूर्ति प्रणालियों को मुक्त प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दें; क्योंकि इससे "यूरोपीय कंपनियों को व्यवसाय के नए मौके मिलने लगेंगे। बहुत सारी यूरोपीय जल कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में किए गए विस्तार और अधिग्रहण के उदाहरणों से यही पता चलता है।" विवेंडी, स्वेज़-ल्योने और बॉयग्यूस (सोर) जैसी फ्रांसीसी कंपनियों ने जलापूर्ति के क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर प्रयास किए हैं।

लेहमन ब्रदर्स नामक एक प्रमुख निवेश संगठन ने शिक्षा को "एक जमाने में सार्वजनिक नियंत्रण के तहत रहे क्षेत्रों में अंतिम सरहद" का नाम दिया है। इस सिलसिले में अब संग्रहालय, पुस्तकालय, ऊर्जा और परिवहन आदि सुविधाएं भी निशाने पर हैं।

गैट्स के माध्यम से निजी कंपनियां सेवाओं के लिए सार्वजनिक फंडिंग तक पहुंच और नियंत्रण प्राप्त कर सकती हैं। यह जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों के निजीकरण के अनुभवों से निकलने वाला एक ऐसा सबक है जिसकी कतई अनदेखी नहीं की जा सकती है।

यूरोपीय संघ और अमरीका में सार्वजनिक सेवाओं पर सार्वजनिक धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है। ओईसीडी (ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट) के सदस्यों, जिनमें से कुछ दुनिया के सबसे संपन्न देश हैं, में स्वास्थ्य और शैक्षणिक सेवाओं पर होने वाला व्यय उन देशों के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 13 प्रतिशत से भी अधिक हैं। वर्तमान में इस व्यय का काफी बड़ा हिस्सा सार्वजनिक या स्वैच्छिक संस्थाओं के पास जाता है। हो सकता है कि अंततः इस हिस्से की ज़्यादातर राशि 'लाभ-हेतु' समूहों की जेबों में चली जाती हो। **वर्तमान में ब्रिटेन के कर - राजस्व का लगभग 50 फीसदी हिस्सा लाभअर्जक कंपनियों के पास चला जाता है।**

व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक और सिद्धांत भी खतरे में है : **यह सिद्धांत है 'अंतर्सब्सिडी' का। इस सिद्धांत के तहत जिन क्षेत्रों और सेवाओं पर कम लागत आती है वे उन क्षेत्रों और सेवाओं के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं जिन पर ज़्यादा लागत आती है।** हमारे देश में रेल की ऊंची श्रेणियों (वातानुकूलित या प्रथम श्रेणी) में यात्रा के लिए ज़्यादा शुल्क वसूल किया जाता है। इसके बदले में सामान्य डिब्बों (स्लीपर क्लास) में सफर करने वाले मुसाफ़िरों को सब्सिडीयुक्त दरों पर यात्रा का अवसर मिलता है। इस तरह, संपन्न मुसाफ़िरों को ज़्यादा भुगतान करने के लिए विवश किया जाता है ताकि देश के बहुत सारे नागरिकों के लिए रेल यात्रा उतनी मंहगी न पड़े और भारतीय रेलवे को इतने घाटे में चलाने की आवश्यकता न रहे। इस तरह की व्यवस्था को ही अंतर्सब्सिडीकरण कहा जाता है। यह एक मूलभूत सिद्धांत है जो विभिन्न अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर भी लागू होता है। **अंतर्सब्सिडी से सुनिश्चित होता है कि संपन्न और ग़रीब, स्वस्थ और बीमार सभी को एक प्रकार की देखभाल के लिए समान सुविधाएं उपलब्ध हों। कुल मिलाकर 'सार्वजनिक सेवाओं' के विचार में ही 'पुनर्वितरण' का आशय निहित होता है।**

दूसरी तरफ 'अंतर्सब्सिडीकरण' से छुटकारा पाना सेवाओं के निजीकरण की दिशा में ही बुनियादी कदम होता है। इससे कंपनियों को एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं को विभाजित करने, ज़्यादा मुनाफ़ेदार सेवाओं का अधिग्रहण करने और ज़्यादा फ़ायदेमंद रोगियों (सामान्यत: ऐसे लोग जिन्हें स्वास्थ्य सेवा की सबसे कम ज़रूरत होती है) इलाज करने और एक आधे-अधूरे तथा बोझ से दबते सार्वजनिक क्षेत्र को हाशिए पर धकेल देने की छूट मिल जाती है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच कुंद होती है।

मौजूदा रुझान की दिशा अमरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था के अमरीकी मॉडल की तरफ केंद्रित दिखाई देती है। अमरीकी स्वास्थ्य व्यवस्था में पिछले दशक के दौरान 'लाभ कमाने वाले' संगठनों का खूब दबदबा कायम हो गया है। शोधकर्ता रॉबर्ट कटनर मानते हैं कि वहां 'अंतर्सब्सिडियों' को समाप्त किया जा रहा है और अस्पतालों को कारोबार की तरह देखा जाने लगा है : "तात्कालिक घाटे को केवल इस बात का हवाला देकर ही बर्दाश्त किया जा सकता है कि उससे आने वाले समय में मुनाफ़ा होगा। इसलिए 'अंतर्सब्सिडी' से किसी भी सूरत में बचा जाना चाहिए. ..। बिना शुल्क की सेवा, गैरमुनाफ़ा दाखिलों, अनुसंधान, शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है – ये तमाम चीजें तो केवल पैसे को डुबोने वाली ही साबित होती हैं।"

गैट्स न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक एक समतापरक पहुंच को अवरुद्ध कर देगा,

बल्कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की लागतों पर अंकुश लगाने वाली प्रणाली को भी क्षीण करेगा। यह स्वास्थ्य सेवा से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों को तहस-नहस कर देगा और उससे उपलब्ध होने वाली सेवाओं का स्वरूप भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। यह लोगों के सामने सेवाओं के उपलब्ध विकल्पों को फैलाने की बजाय उन्हें सीमित कर देगा और उन स्थानों को भी सीमित करेगा जहां से वे ये सेवाएं हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर कम सार्वजनिक व्यय की स्थिति में महिलाओं को रोजगार छोड़ने पड़ेंगे और घर पर रहकर उन लोगों की देखभाल का जिम्मा संभालना पड़ेगा जो स्वास्थ्य सेवाओं का व्यय वहन करने के योग्य हैं। यह बदलाव महिला आंदोलन की बहुत सारी उपलब्धियों और जीतों को बेमानी बना देगा।

किसके हित सध रहे हैं ?

डब्ल्यूटीओ के सचिवालय ने सही ही रेखांकित किया है कि "घरेलू नियमन को सीमित करने से व्यापार के विस्तार और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच तनाव पैदा हो जाता है।" **परंतु सबसे अहम अंतर्विरोध निजीकरण द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे व्यापार के सामान्य उद्देश्यों और लोकहित के बीच है।** डेविड हॉल कहते हैं, "संबंधित निजी कंपनियां राष्ट्रीय हैं या विदेशी, यह तुलनात्मक रूप से सार्वजनिक सेवाओं के लिए उतने महत्व का मुद्दा नहीं है जितना कि फाइनेंसिंग या सेवाओं की उपलब्धता पर निजीकरण के प्रभावों का मुद्दा है...। **हो सकता है कि इन सेवाओं के वैश्वीकरण के कई नकारात्मक विकास संबंधी परिणाम अभी भी कायम हों परंतु सार्वजनिक सेवाओं को सबसे भारी चोट निजीकरण के ज़रिए ही पहुंचती है।"**

स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता एलिसन पोलक और डेविड प्राईस इस बात पर जोर देते हैं कि "सबसे अहम पहलू घरेलू संप्रभुता नहीं बल्कि वह तरीका है जिसके ज़रिए जनहित और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्यों पर व्यापार के उद्देश्यों की तरफ से हमला बोला जाता है।" स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली मेरी कोइवूसालो की दलील है कि डब्ल्यूटीओ असल में जिस चीज से ताल्लुक रखता है वह "उत्तर और दक्षिण के देशों या हितों के बीच कायम व्यापार रुकावटें नहीं बल्कि... ऐसे उत्प्रेरक और प्रणालियां हैं जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारों, उत्तरदायित्वों और क्षमताओं से ताल्लुक रखती है।"

बॉक्स 3 : 'पूर्ण लागत वसूली' : गैट्स के तहत पानी की लागत

'पूर्ण लागत वसूली' - यह वो सिद्धांत है जिसे आईएमएफ और विश्व बैंक ने इस तर्क के सहारे खड़ा किया है कि या तो लोग पानी की पूरी लागत का भुगतान करें या फिर वे पानी के बिना काम चलाएं। व्यावहारिक रूप से देखने पर गैट्स की दशा-दिशा से पता चलता है कि ये सिद्धांत कानून का रूप ले चुका है। यह सिद्धांत साफ, सुरक्षित पेयजल तक पहुंच के आधारभूत मानवाधिकार के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। परंतु वैश्विक व्यवसाय जगत को लोगों के अधिकारों में ख़ास दिलचस्पी नहीं है।

बॉक्स 4 :

गैट्स के बारे में उनका क्या कहना है...

"गैट्स के लिए खुद सरकारों ने वार्ताएं की हैं और उसने वह ढांचा निर्धारित कर दिया है जिसके तहत कंपनियां और व्यक्ति काम कर सकते हैं...। ऐसा कैसे हो गया कि संजीदा लोग भी उस चीज पर यकीन करने लगे जो कभी थी ही नहीं ? 140 सरकारों की तो बात ही छोड़िए कोई भी सरकार भला इस बात के लिए तैयार कैसे हो जाएगी कि वह खुद को उन शक्तियों से वंचित रखे जाने के लिए तैयार हो जाए जो उसके लिए भी और हम सबके लिए भी भारी अहमियत की हैं?"

– **गैट्स : फैक्ट्स एंड फिक्शन,** दि डब्ल्यूटीओ सर्विसेज़ सेक्रेटेरिएट

"अमरीकी वित्तीय सेवा क्षेत्र द्वारा डाले गए भारी दबाव के बिना... सेवाओं पर कोई समझौता नहीं हो सकता था।"

– डेविस हार्ट्रिज, डब्ल्यूटीओ सर्विसेज़ प्रभाग के भूतपूर्व निदेशक

"गैट्स सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकारों के बीच ही मौजूद है। सबसे पहले और सबसे अहम तौर पर तो यह व्यवसाय जगत के फायदे का ज़रिया है।"

– यूरोपीय आयोग

हम किस बात पर यकीन करें?

परदे के पीछे :
ये कैसे हुआ, और किसकी चाकरी के लिए हुआ?

डब्ल्यूटीओ की प्रक्रिया : व्यवसाय के हित में

डब्ल्यूटीओ के साथ लोकतंत्र का कोई रिश्ता नहीं है। संगठन के मुख्य निर्णय तथाकथित **'ग्रीन रूम' वार्ताओं** में लिए जाते हैं जहां अमरीका, यूरोपीय संघ, कनाडा और जापान का दबदबा है। कम से कम 37 देश ऐसे हैं जो जिनेवा में स्थायी कार्यालय खोलने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। यहां कार्यालय न होने के कारण ये देश अपने प्रतिनिधियों को हर सप्ताह होने वाली औसतन 40 या उससे भी अधिक व्यापार बैठकों में हिस्सा लेने के लिए नहीं भेज सकते। नवंबर 2001 में हुए दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में जी-7 समूह के अमीर राष्ट्रों से 481 प्रतिनिधि आए थे जबकि 39 'न्यूनतम विकसित देश' से केवल 276 प्रतिनिधि आए थे। और तो और, क्योंकि ज़्यादातर ग़रीब देश सहायता, निवेश और कर्ज़ राहत के लिए संपन्न राष्ट्रों पर ही निर्भर रहते हैं इसलिए संपन्न देश उनकी इस निर्भरता का फ़ायदा व्यापार के सिलसिले में होने वाली वार्ताओं के दौरान उनकी सहमति के रूप में उठाते हैं।

एक कॉर्पोरेट एजेंडा : मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनकी लॉबी

गैट्स को दुनिया की सरकारों के गले उतारने में उद्योग जगत की लॉबी की भूमिका साफ दिखाई देती है। डब्ल्यूटीओ के कर्मचारी और वार्ताकार इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि यह समझौता केवल इसीलिए अस्तित्व में आया है, क्योंकि इसके हक में 'सेवा' क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारी दबाव था। गैट्स के प्रभाव में आने के बाद से व्यवसाय जगत का प्रभाव न केवल यथावत् बना हुआ है बल्कि उसमें और इजाफा हुआ है।

सेवा उद्योगों के अमरीकी गठबंधन (यूएससीएसआई) और अमरीकी वार्ताकारों के बीच निहित संबंध बेहद घनिष्ठ और स्थिर किस्म के रहे हैं। यूरोपीय संघ के नीति निर्माताओं पर यूरोपीय कंपनियों की पहुंच और नियंत्रण की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। **यूरोपीय सेवा फोरम (ईएसएफ)** ने यह कहते हुए गैट्स वार्ताओं की 'पारदर्शिता' का बचाव किया था कि "आपको सिर्फ फोन उठाना है - मैं तो हर रोज यही करता हूं!" बहरहाल, बाकी समाज को मंत्रियों के कानों या उनकी बैठकों और दस्तावेज़ों तक पहुंचने के लिए ऐसी कोई हॉटलाइन मुहैया नहीं है। ब्रिटेन में कॉर्पोरेट वित्तीय सेवाओं के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी **लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज़ (एलओटीआईएस) ग्रुप** के रूप में नियमित रूप से बैठक करते हैं। बताया जाता है कि सरकारी अधिकारी ही गैट्स से संबंधित दस्तावेज़ों (जो सार्वजनिक रूप

से उपलब्ध नहीं हैं) को इस सिलसिले में लॉबी करने वाले लोगों के लिए जारी करते हैं। उन्होंने ही एलओटीआईएस के सदस्यों को इस बारे में समझाया है कि वह इस समझौते की खिलाफ़त करने वाले नागरिक समाज संगठनों की मुहिम का किस तरह सामना करें।

इसमें कोई शक नहीं कि यूएससीएसआई दुनिया भर में सबसे असरदार सर्विस लॉबी संगठन है। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से 1982 में शुरू किया गया था पर इसका इतिहास '70 के दशक के मध्य से शुरू होता है। उस समय अमेरीका के बाहर मौजूद बाज़ार में विभिन्न प्रकार के कड़े नियम लागू थे। अमेरीकन इंटरनेशनल ग्रुप (एआईजी), अमरीकन एक्सप्रेस और सिटी कॉर्प, ये तीनों अमरीका आधारित वित्तीय सेवा कंपनियां इस बाज़ार में किसी भी तरह अपना दखल बनाना चाहती थीं। उन्होंने इस बात के लिए जमकर कोशिशें कीं कि गैट में 'सेवाओं के व्यापार' को भी समाहित किया जाए। 1982 और 1985 के बीच यूएससीएसआई ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) और वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर काफी काम किया। 1983 के अंत में यूएसटीआर ने गैट के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया था कि सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चलाने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की जा सकती है। जब सितंबर 1986 में उरुग्वे चक्र की शुरुआत हुई तो **सेवा वार्ता समूह (जीएनएस)** का भी गठन किया गया था। इस बीच यूएससीएसआई अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों को इस बात के लिए 'प्रोत्साहित' करने में लगा था कि वे यूएसटीआर को इस आशय की चिट्ठियां भेजें कि वे सेवाओं के व्यापार के उदारीकरण के 'प्रबल समर्थक' हैं। कांग्रेस के समक्ष हुई सुनवाइयों में उद्योग जगत के विशेषज्ञों और प्रशासकीय अधिकारियों ने भी 'गवाही' दी और कहा कि अमरीकी अर्थव्यवस्था के लिए सेवा उद्योग बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। उरुग्वे चक्र के दौरान यूएससीएसआई यूएसटीआर वार्ताकारों के लिए समर्थन का एक मुख्य स्तंभ रहा। अमरीकन एक्सप्रेस के उपाध्यक्ष और यूएससीएसआई के पहले निदेशक हैरी फ्रीमैन ने बाद में याद करते हुए कहा था : "हमारे पास अमरीकी निजी क्षेत्र के तकरीबन 400 लोग थे। इसके अलावा शायद 4 लोग कनाडा के थे। किसी अन्य निजी क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं था। अमरीकी सरकार में निजी क्षेत्र की वकालत करने का तरीका दुनिया की किसी भी दूसरी सरकार में होने वाले इस तरह के काम से बिल्कुल अलग किस्म का होता है।" नतीजतन 1994 में गैट समझौते के पारित होने को सेवा उद्योग के लॉबिस्टों की एक मुख्य जीत के रूप में देखा गया।

तब से व्यवसाय जगत और सरकार के संबंध और भी ज़्यादा सौहार्द्रपूर्ण बने हुए हैं। अमरीकी वाणिज्य विभाग के सेवा उद्योग कार्यालय और यूएससीएसआई ने अमेरीकी वाणिज्य विभाग में 'सर्विसेज़ 2000, ए बिजनेस-गवर्नमेंट डॉयलाग ऑन यूएस ट्रेड एक्सपेंशन ऑब्जक्टिव' शीर्षक पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर अपने वक्तव्य में यूएससीएसआई

के अध्यक्ष बॉब वेस्टाइन ने अमरीकी सरकारों और अमरीकी सेवा उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सरकार और सेवा उद्योग के बीच आज जैसे संबंध हैं वह "सरकार/उद्योग सहयोग का एक बेमिसाल उदाहरण हैं और सारी दुनिया को इससे सबक लेना चाहिए।" इसी मौके पर **वाणिज्य विभाग के उपसचिव सेमुअल बॉडमैन ने श्रोताओं को इस बात का भरोसा दिलाया कि "सचिव महोदय और मेरी नज़र में हमारी भूमिका और हमारे विभाग का लक्ष्य यही है कि हम अमरीकी व्यावसायिक समुदाय के हक में वकालत करें।" सम्मेलन में इस बात को रेखांकित किया गया कि वाणिज्य विभाग और यूएससीएसआई को एक साझा लक्ष्य के तहत गैट्स वार्ताओं का इस्तेमाल अमरीकी कंपनियों को और अधिक बाज़ार दिलाने के लिए करना चाहिए।**

1997 के वित्तीय सेवा समझौते, जो गैट्स का एक उपभाग है, भी इस बात का एक और उदाहरण हैं कि व्यावसायिक हितों ने वैश्विक नियम निर्धारण को किस प्रकार दिशा दी है। 1995 में जब वित्तीय सेवा वार्ताएं टूट गईं तो अमरीकी सरकार, यूरोपीय संघ आयोग और डब्ल्यूटीओ ने फोर्ड फाइनेंशियल सर्विस एंड बार्क्लेज बैंक के मुखियाओं को लेकर **फाईनेंशियल लीडर्ज़ ग्रुप (एफएलजी)** का गठन किया। यह एक बेहद शक्तिशाली और वैश्विक पहुंच वाला संगठन था और इसमें सिर्फ सीईओ और निदेशक स्तर के अधिकारी ही शामिल थे। जैसा कि बॉब वेस्टाइन बताते हैं, "एफएलजी में उभरती सहमति सरकारों के लिए इस आशय का संकेत थी कि अमरीकी और यूरोपीय वित्तीय समुदाय एक सार्थक उदारीकरण तथा एक उल्लेखनीय सफलता चाहता है और, कि वार्ताकारों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए परस्पर सहयोग करना चाहिए। ये रणनीति जाहिरा तौर पर कामयाब रही।"

एफएलजी ने दिसंबर 1997 में इस उपभाग को लेकर चल रही वार्ताओं के अंतिम घंटों में एक निर्णायक भूमिका अदा की। इस समझौते के माध्यम से मध्य एवं पूर्वी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के बाज़ारों में बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनियों की पहुंच में इजाफ़ा हो गया। बहरहाल इस बात की उम्मीद करने का तो फिर भी कोई मतलब नहीं है कि इन देशों की वित्तीय सेवा कंपनियां भी अमरीका या यूरोपीय संघ के बाज़ारों में किसी किस्म के मुकाबले में उतर सकती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर उनकी भारी निर्भरता को देखते हुए इन देशों के पास सिवाय इसके और कोई विकल्प नहीं था कि वे इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। एफएलजी उदाहरण से प्रेरित होकर यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त सर लियोन ब्रिट्टन ने बार्क्लेज़ बैंक के निदेशक से आग्रह किया कि वे यूरोपीय संघ के सेवा उद्योग को भी इसी किस्म के ढांचे में पुनर्गठित करें। इस तरह, 26 जनवरी 1999 को यूरोपीय सेवा नेटवर्क की भी शुरुआत हो

गई। कुछ ही समय बाद इसका दुबारा नामांकन किया गया और उसे **यूरोपियन सर्विसेज़ फोरम (ईएसएफ)** का नाम दिया गया। तब से ईएसएफ व्यापार उदारीकरण के विषय में कई दस्तावेज़ ज़ारी कर चुका है जो कुल मिलाकर उन्हीं बिंदुओं पर जाकर सिमट जाते हैं जहां यूएससीएसआई का एजेंडा जाकर रुकता है, यानी:

- कोई विशेष आपातकालीन प्रावधान नहीं;
- गैट्स के तहत श्रम की गतिशीलता 'प्रमुख व्यावसायिक व्यक्तियों' तक सीमित हो;
- सरकारी खरीद (जिसमें सरकार के सभी स्तरों को शामिल किया जाता है) के लिए गैट्स में अभी जो रियायतें दी गई हैं उनको समाप्त किया जाए और सामान्य रूप से तमाम सरकारी खरीद को डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत ही संचालित किया जाए;
- "विदेशी और घरेलू कंपनियों पर ऐसा कोई अनावश्यक या ग़ैरआनुपातिक बोझ" न डाला जाए "जिससे बाज़ार उदारीकरण कुंद होने लगे।"

कहानी का सबक यह है: वैश्विक सेवा कंपनियां सबसे आर्कषक निजी 'सार्वजनिक' सेवाओं पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हैं। आम नागरिक सेवाओं के संचालन को नियंत्रित करने वाली वैश्विक व्यवस्था पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकें इसके लिए ज़रूरी है कि पहले व्यवसाय जगत और राज्य के बीच कायम इस गठजोड़ को बेनकाब किया जाए और इस पर विरामचिन्ह लगाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक 'सार्वजनिक हित' का व्यापार के नियमों के लिए कोई खास मतलब नहीं रहेगा।

गैट्स की समयसारणी

भारत सहित लगभग सभी विकासशील देशों ने नवंबर 2001 में गैट्स पर दोहा में हुई मंत्रीस्तरीय बैठक में चुप्पी साध रखी। इस बहाने से अमरीका, यूरोपीय संघ, कनाडा और जापान को सेवाओं के उदारीकरण को और बढ़ावा देने का मौका मिल गया।

दोहा मंत्रीस्तरीय घोषणापत्र में गैट्स वार्ताओं के लिए यह समय सारणी निर्धारित की गई :

- **30 जून 2002** – सेवा क्षेत्रों को खोलने के लिए प्रारंभिक आवेदन 2004 के अंत तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- **31 मार्च 2003** – इस तारीख तक डब्ल्यूटीओ के सदस्य ऐसी अतिरिक्त विशिष्ट प्रतिबद्धतताएं बता सकते हैं जिनके लिए वह तैयार हैं।

- **सिंतबर 2003** – केंकन मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान गैट्स वार्ताएं और अब तक की समीक्षा।
- **1 जनवरी 2005** – डब्ल्यूटीओ/गैट्स वार्ताओं के वर्तमान चक्र की समाप्ति।

बॉक्स 5 : आप क्या कर सकते हैं : गैट्स के हमले को तुरंत रोकें

कॉरपोरेटी वैश्वीकरण के सिद्धांत के रूप में 'मुक्त' व्यापार मुनाफ़े को लोगों से भी ज़्यादा अहम चीज बना देता है। 'मुक्त व्यापार' के हिमायती सरकारों और समुदायों की ऐसी तमाम कोशिशों को धता बता देते हैं जिनके ज़रिए वे ज़्यादा समतापरक राष्ट्रीय और स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं, निष्पक्ष व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, या अपने नागिरकों के लिए काम और संपन्नता सुनिश्चित करना चाहते हैं। गैट्स समझौता जनसंघर्षों की ऐतिहासिक रूप से लड़कर जीती गई उपलब्धियों के लिए एक भयानक खतरा है। यह निर्वाचित सरकारों को बाध्य करता है कि वे सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और पर्यावरणीय संरक्षण की अपनी ज़िमेदारियों को त्याग दें। यह लोगों की उन हालात में लोकतांत्रिक ढंग से दखल करने की ताक़त को छीन लेता है जो हालात उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को परिभाषित कर रहे हैं, और इस तरह उस क्षमता को साम्राज्यवादी पूंजी से जुड़े वैश्विक संस्थानों में बैठे अनिर्वाचित अभिजनों के हाथों में केंद्रित कर देता है।

जरूरी है कि अपने मतभेदों को भुलाकर शोषित वर्ग और सभी सामाजिक संगठन उन ताकतों के खिलाफ संघर्ष शुरू करें जो स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में कॉर्पोरेटवाद को बढ़ावा दे रही हैं। इस संघर्ष का स्वरूप ऐसा है कि उसे साझा सामूहिक विचार-विनिमय के सेतुओं और विभिन्न प्रतिरोध स्वरूपों और पद्धतियों के बीच तालमेल के बिना नहीं जीता जा सकता है। इस दौरान हमें गठजोड़ और एकता के लिए भी बढ़-चढ़ कर आगे आना होगा।

इस प्रक्रिया की शुरुआत 'अमीर' देशों की सरकारों से इस आशय के आह्वान के साथ होनी चाहिए कि वे ग़रीब देशों की सार्वजनिक सेवाओं, ख़ासतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के क्षेत्र की सेवाओं के निजीकरण के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक के ज़रिए दबाव डालने का तरीक़ा छोड़ दें। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि दुनिया के तमाम 'ग़रीब' देशों में भी इन ताकतों का पुरजोर विरोध किया जाए।

संदर्भ एवं पाठ्य सामग्रीः

- **गैट्स : फैक्ट एंड फिक्शन,** दि डब्ल्यूटीओ सर्विसेज़ सेक्रेटेरिएट
- **फेसिंग दि फैक्ट्स : ए गाइड टू दि गैट्स डिबेट,** कैनेडियन सेंटर फॉर पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्ज़
- **व्हॉट इज़ गैट्स?** वर्ल्ड डेवलपमेंट मूवमेंट
- **बिहाइंड गैट्स 2000 : कॉर्पोरेट पॉवर एट वर्क,** ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट
- निक कैली'ज़ बैन्ड गैट्स बुकलेट, www.scoop.co.nz
- **स्टीलिंग अवर वॉटर,** फ्रेंड्स ऑफ दि अर्थ
- **दि सिटीज़ंस गाईड टू दि डब्ल्यूटीओ,** डब्ल्यूटीओ/एमएआई कार्यदल
- **दि डब्ल्यूटीओ एंड दि गैट्स : व्हाई टीचर्स शुड बी कंसर्नड,** लेखक, हार्वे वीनर, कैनेडियन टीचर्स फेडरेशन

परिशिष्ट – क

'गुणवत्ता' का सवाल?

स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक बनाम निजी : वैश्विक अनुभव

निजी स्वास्थ्य सेवा की हिमायत में दी जाने वाली सबसे मुख्य दलील यह है कि इससे स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। अक़सर कहा जाता है कि अगर रोगियों को अपने इलाज के लिए खुद क़ीमत अदा करनी पड़े और उन्हें यह चुनने का हक़ दिया जाए कि वे अपने पैसे को (या उन्हें जो सार्वजनिक पैसा मिल रहा है) कहां खर्च करना चाहते हैं तो मुनाफ़े और जिंदा रहने की संभावना के बीच प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं को आर्थिक लिहाज से ज़्यादा ज़िम्मेदार और ज़्यादा दक्ष बना देगी।

निश्चय ही इसका ये मतलब नहीं है कि रोगियों को हमेशा ही निजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की क्षमता मिल जाएगी : ज़्यादातर लोग इस बात का फैसला करने की स्थिति में नहीं होते कि उनका इलाज कहां होना चाहिए, उनका इलाज किसके हाथों होना चाहिए, कैसे हालात में होना चाहिए। ये सारी बातें वे अपने डॉक्टर की सलाह के बिना तय नहीं कर पाते।

ब्रिटेन के स्वास्थ्य सेवा बाज़ार में अब सिर्फ 'लागत' ही एक ऐसी चीज है जिसकी कुछ प्रासंगिकता बची है। परंतु "लागतों में लगातार कटौती करते जाने के लिए सेवाओं को ठेके पर देते जाने की बेतहाशा दौड़ ने कई मामलों में सेवाओं की गुणवत्ता और स्तर पर भयानक प्रभाव डाले हैं।" जिन अस्पतालों ने "पिछले 17 साल के दौरान करोड़ों पौंड के व्यय वाली सहायक सेवाओं को ठेके पर दिया है वे स्वीकार करते हैं कि लागत में कटौती की इन कोशिशों से एनएचएस (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा) वार्डों में गंदगी पैदा हुई है, चादरें गंदी रहने लगी हैं और अस्पतालों में मिलने वाला भोजन इतना ख़राब हो गया है कि लोग खुले आम उसकी निंदा करने लगे हैं।" पिछले तीन साल के दौरान जिन निजी कंपनियों को एनएचएस की सहायक सेवाएं मुहैया कराने के लिए अनुबंधित किया गया उन पर प्रदर्शन मानकों में कमी के एवज में 20 लाख पौंड से भी ज़्यादा के जुर्माने ठोके जा चुके हैं। ख़राब गुणवत्ता के पीछे कम वेतन और ख़राब कार्य परिस्थितियों का सबसे मुख्य हाथ रहा है। परंतु विभिन्न सेवाओं को ठेके पर करवाने का एकमात्र आधार 'गुणवत्ता' नहीं बल्कि 'लागत' ही रहा है। एनएचएस के बहुत सारे कर्ताधर्ता अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि "किसी भी सेवा की कार्यकुशलता में कमी का हल निकालने के लिए निजीकरण कोई अचूक समाधान नहीं है।"

इस दौरान निजी अस्पतालों में देखभाल की कमी के चलते जो लोग मारे गए हैं या अपाहिज हुए हैं, जिनके मस्तिष्क को क्षति पहुंची है या जिन्हें भारी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है उनके परिवारों के दबाव में सन 2000 में सरकार को **केयर स्टैंडर्ड्स एक्ट** पारित करना पड़ा ताकि निजी अस्पतालों और आवासीय तथा नर्सिंग होमों में स्वास्थ्य सेवा के समुचित मानदंड लागू किए जा सकें। "तकरीबन निरपवाद रूप से, जो भी त्रासदियां हुई हैं वह सभी इसलिए हुईं, क्योंकि निजी अस्पतालों में कर्मचारियों की संख्या कम थी।"

अमरीका में 'लाभ-हेतु' निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा का स्तर इस दावे को और कमज़ोर कर देता है कि निजी क्षेत्र का मतलब ही है बेहतर सेवा। **काउंसिल ऑफ कैनेडियंस के पीटर जूलियन कहते हैं, "अब तक किए गए तकरीबन तमाम विश्वसनीय अध्ययनों से यह बात जाहिर हो चुकी है कि निजी, 'लाभ-हेतु' स्वास्थ्य सेवा ज़्यादा मंहगी, कम कार्यकुशल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के मुकाबले कम गुणवत्ता वाली होती है।"**

व्यवहारत: **हालांकि 'लाभ-हेतु' सेवा प्रदाता सार्वजनिक धन पर निर्भर रहते हैं परंतु उनकी मौजूदगी से सार्वजनिक क्षेत्र को कई तरह से क्षति पहुंचती है।** जब सार्वजनिक और स्वैच्छिक अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को फंडिंग के लिए व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं के साथ मुकाबले में उतरना पड़ता है तो सार्वजनिक व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाला पैसा घटने लगता है। इस तरह की प्रतिस्पर्धा से रोगियों को अपनी तरफ खींचने की प्रतिस्पर्धा भी शुरू होती है - निजी क्षेत्र के अस्पताल ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा संपन्न मरीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हमेशा यही होता है कि ज्यादा संवेदनशील रोगियों की देखभाल की ज़िम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के कंधों पर छोड़ दी जाती है जबकि दूसरी तरफ उसे अपने खर्चों और सरकार से मिलने वाले आबंटन में कटौती का सामना भी करना पड़ता है।

इन तमाम बदलावों का सबसे अपरिहार्य परिणाम यह होता है कि निरोधक सेवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पास इन सेवाओं के मद में पर्याप्त पैसा नहीं होता जबकि निजी क्षेत्र उनमें उतनी दिलचस्पी नहीं लेता।

निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं का लक्ष्य यह नहीं है कि समाज को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए बल्कि उनका लक्ष्य है लोगों को स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद या शल्य चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाएं मुहैया कराना। वे किसी को भी ऐसी सेवा मुहैया नहीं कराएंगे जो निहित रूप से गैर लाभदायक हो। कम से कम ऐसे लोगों को तो ये सब सुविधाएं बिल्कुल नहीं मुहैया कराई जाएंगी जो उनके लिए

भुगतान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि सार्वजनिक सेवा कार्यकर्ता डैक्सटर व्हिटफील्ड बताते हैं, "असल निजी व्यवस्था वह है जिसमें करदाता सेवाओं के लिए पैसा देते हैं परंतु उन सेवाओं के बुनियादी ढांचे के स्वामित्व और संचालन का अधिकार निजी क्षेत्र के हाथ में होता है और वही उन्हें लोगों तक पहुंचाता है।" इतना ही नहीं स्वास्थ्य सेवा को व्यक्तियों के आधार पर भी नियोजित नहीं किया जा सकता है : इसका ताल्लुक जनसंख्या और ज्ञात प्राथमिकताओं के मुताबिक संसाधनों के इस्तेमाल से है।

अमरीका और लैटिन अमरीका में पिछले दो दशक के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं उनसे ये रुझान साफ हो जाते हैं। अमरीका में 1990 के दशक की शुरुआत में ऐसे अस्पतालों, स्वास्थ्य संगठनों (एचएमओ, या नियोक्ताओं और अस्पतालों के बीच बीमाकर्ता किस्म के बिचौलियों), नर्सिंग होम, घर केंद्रित सेवाओं और छोटे अस्पतालों की संख्या बढ़ती गई, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 'लाभ-हेतु' कंपनियां थे। सामाजिक चिकित्सा संगठनों के चोले से निकल कर एचएमओ करोड़ों डॉलर वाले ऐसे व्यावसायिक निकायों में तब्दील हो गए जो सार्वजनिक वित्तपोषण, निजी स्वास्थ्य बीमे और प्रयोक्ता शुल्कों पर आश्रित थे, जिन्होंने 'लाभ निरपेक्ष' अस्पतालों को सस्ते में अधिग्रहीत कर लिया और राज्य तथा संघीय अस्पतालों पर असरदार ढंग से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बाज़ार में अपना हिस्सा बढ़ाने की चाह, ज़्यादा मुनाफ़ा देने वाले मरीजों की तलाश, लागत में ज़्यादा से ज़्यादा कटौती जैसे पहलू स्वास्थ्य सेवा के तमाम हिस्सों पर हावी हो गए। यहां तक कि इन पहलुओं से वे सेवाएं भी अछूती नहीं रहीं जिन्हें पहले सामाजिक किस्म के निकाय उपलब्ध कराते थे। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों के दौरान हालत यह हो गई कि अपने मुनाफ़े को कायम रखने के दबाव में बीमाकर्ता और अस्पताल बीमार मरीजों से बचने लगे, कर्मचारी-रोगी अनुपात गिरने लगा और बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने से सीधे-सीधे मना किया जाने लगा। उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल में ज़्यादा कार्यकुशलता दिखाने की बजाय और निरोधात्मक तथा उपचारक सेवाओं के और अधिक एकीकरण के स्थान पर उद्योगों ने सिर्फ लागतों से बचने की जद्दोजहद शुरू कर दी। दि इकॉनॉमिस्ट के मुताबिक "स्वास्थ्य सेवाओं को अमरीका में जिस कदर एक धंधे की शक्ल दे दी गई है वैसा किसी और देश में शायद नहीं हो सकता है।" स्वास्थ्य सेवा अमरीकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर हर साल एक ख़रब डॉलर से भी ज़्यादा खर्चा होता है जिसमें से 46 प्रतिशत सरकारी बीमा कार्यक्रमों से आता है। इसके बावजूद अमरीका में तकरीबन 4.4 करोड़ लोग - यानी हर 6 में से 1 आदमी - के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है जबकि लाखों दूसरे लोगों को पर्याप्त बीमा सुविधा नहीं मिली है।

बहरहाल, लैटिन अमरीका (ख़ासतौर से चिली, कोलंबिया पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको

और वेनेजुएला) के देश "सुधारों" के नाम पर स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की परीक्षण स्थली बन गए हैं। इन तथाकथित सुधारों के लिए सबसे ज़्यादा दबाव विश्व बैंक और इंटर-अमरीकन डेवलपमेंट बैंक और अमरीका से शिक्षा-दीक्षा लेकर आए राष्ट्रीय अर्थशास्त्री और अमरीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और बीमाकर्ताओं के निर्यात लक्ष्यों की तरफ से पड़ता है। निजी बीमाकर्ता आमतौर पर "सबसे कम जोख़िम" वाले लोगों, यानी युवाओं और स्वस्थ लोगों का ही बीमा करने को प्राथमिकता देते हैं। वे उन लोगों का बीमा नहीं करते जो लंबे समय से बीमारियों का शिकार हों। वे उन लोगों का भी बीमा नहीं करते जो बीमे की सुविधा को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। निजी कंपनियां आमतौर पर देहाती इलाकों में काम नहीं करतीं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा ही विरल रहती हैं। जैसा कि दि इकॉनॉमिस्ट की राय है, "निजी प्रबंधन युक्त संगठनों या संस्थानों के लिए ग्रामीण समुदाय के ग़रीब लोग हमेशा ही बहुत पसंदीदा ग्राहक नहीं होते हैं और मुमकिन है कि वे इस नई व्यवस्था की चौहद्दी के बाहर ही घिसटते रहें।" बहुत सारे 'अनौपचारिक' या दिहाड़ी मजदूर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बाहर पड़े हैं।

इसके बावजूद हमेशा यही होता है कि निजी प्रदाता उन्हीं सरकारी स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं पर आश्रित रहते हैं जिन्हें वे कमजोर करते जा रहे हैं। वे प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों को उसी सरकारी प्रणाली से चुनते हैं, उन्हीं रोगियों को चुनते हैं जिनकी ज़रूरतें और सार्वजनिक सेवाएं पहले ही पहचानी जा चुकी हैं, सिर्फ वही सेवाएं देना चाहते हैं जो फ़ायदेमंद हैं, और प्रयोगशाला से लेकर आवासीय सुविधाओं तक तमाम ऐसी निजी व्यवस्था करते हैं जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं को भाड़े पर या ठेके पर दिया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ खुद इस बात को रेखांकित करता है कि: "निजी स्वास्थ्य बीमाकर्ता सदस्यों की संख्या बढ़ाने के फेर में आमतौर पर किसी न किसी तरह सिर्फ 'मलाई' खाने की ही कोशिश करते हैं। वे बुनियादी सार्वजनिक व्यवस्था, जिसके पास आमतौर पर आम बजट से ही पैसा आता है, के लिए कम आय और ज़्यादा जोख़िम वाले सदस्यों को छोड़ देते हैं। हो सकता है कि नए निजी क्लीनिक सार्वजनिक अस्पतालों से दक्ष और कुशल कर्मियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो जाएं और इसके बदले में आबादी के उन्हीं समूहों को सार्वजनिक अस्पतालों जैसी सेवाएं उपलब्ध न कराएं।"

ब्राजील में निजी क्षेत्र देश की एक चौथाई आबादी के लिए 1,20,000 डॉक्टर मुहैया करा रहा है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के पास बाकी तीन चौथाई आबादी के लिए 70,000 डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं हैं। पब्लिक सर्विसेज़ इंटरनेशनल के मुताबिक

ऐसी स्वास्थ्य सेवा "सरकारी स्वास्थ्य सेवा के मुक़ाबले न तो सस्ती होती है और न ही उतनी परिपूर्ण।" इस स्थिति का सबसे तीखा उदाहरण खुद अमरीका है : उसके पास प्रशासकीय लिहाज से दुनिया भर में सबसे खर्चीली स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध है जिससे आबादी के न्यूनतम प्रतिशत को ही लाभ मिलता है।

हमारे देश में विश्व बैंक के सुधारों के असर के तहत चिकित्सा सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है जबकि नई प्रणाली में इलाज के मानकों और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कोई तरीका विकसित नहीं किया गया है। राज्य द्वारा चलाया जा रहा संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम पैसों की कमी की वजह से अस्त-व्यस्त हो चुका है। ऐसे ही नतीज़े सब-सहारा अफ्रीका में भी देखे जा चुके हैं।

दूसरे शब्दों में, निजी प्रणाली सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए कोई बहुत बढ़िया ज़रिया नहीं है। बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य के बिना हरेक इंसान की सेहत को ख़तरा पैदा हो जाता है। खाद्य नीति विश्लेषक टिम लैंग के मुताबिक साफ हवा, साफ पानी और खाद्य सुरक्षा जैसे बहुत सारे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी अधिकार तभी हासिल किए जा सके थे जब संपन्न और मध्यम वर्गों ने भी इस बात को समझ लिया कि अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के परिणामों से वे भी अछूते नहीं रह सकते हैं और इसलिए ये उनके हित में है कि वे खराब स्वास्थ्य के कारणों को सामाजिक स्तर पर संबोधित करें। यूके पब्लिक हैल्थ एसोसिएशन से जुड़े ज्यॉफ रेनर के मुताबिक, **"स्वास्थ्य के विषय में एक बाज़ार केंद्रित समझ न केवल स्वास्थ्य सेवा की लागतों में इजाफा कर देती है बल्कि उससे उन कारकों के प्रति चिंता भी कम होने लगती है जिनकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। एक उपभोक्ता संगठन आश्वासन देता है - हालांकि ये गलत आश्वासन है - कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी बीमार लोगों को ठीक कर सकती है और अच्छी सेहत के लिए काम करने या उसे प्रोत्साहित करने की बजाय उसे हाट बाजार में खड़े होकर खरीदा और बेचा जा सकता है।"**

सौजन्य से : **ट्रेडिंग हैल्थ केयर अवे - गैट्रस, पब्लिक सर्विसेज़ एंड प्राइवेटाइज़ेशन**
लेखकः साराह सैक्सटन, दि कॉर्नरहाऊस (2001)

परिशिष्ट – ख

गैट्स सेवाओं की क्षेत्रवार सूची

1. व्यावसायिक सेवाएं

I. पेशेवर सेवाएं

क. वैधानिक सेवाएं
ख. एकाउंटिंग, ऑडिटिंग और बुककीपिंग सेवाएं
ग. कराधान सेवाएं
घ. वास्तुशिल्पीय सेवाएं
ड. इंजीनियरिंग सेवाएं
च. एकीकृत इंजीनियरिंग सेवाएं
छ. शहरी नियोजन और भू-दृश्य वास्तुशिल्पीय सेवाएं
ज. चिकित्सकीय और दंत चिकित्सा सेवाएं
झ. पशु चिकित्सा सेवाएं
झ. दाई, नर्सों, भौतिक चिकित्सकों और उप चिकित्सकीय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं
झ. अन्य

II. कम्प्यूटर एवं संबंधित सेवाएं

क. कम्प्यूटर हार्डवेयर के इंस्टॉलेशन से संबंधित परामर्श सेवाएं
ख. सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन सेवाएं
ग. डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं
घ. डाटा आधारित सेवाएं
ड. अन्य

III. अनुसंधान एवं विकास सेवाएं

क. प्राकृतिक विज्ञानों में अनुसंधान एवं विकास सेवाएं
ख. सामाजिक विज्ञानों और मानव विज्ञानों में अनुसंधान एवं विकास सेवाएं
ग. अंतर्विषयक अनुसंधान एवं विकास सेवाएं

IV संपत्ति संबंधी सेवाएं

क. अपनी या पट्टे पर ली गई संपत्ति के विषय में
ख. फीस या ठेके के आधार पर

V **रेंटल/ संचालक रहित पट्टेदारी सेवाएं**

क. समुद्री पोतों के विषय में

ख. विमानों के विषय में

ग. अन्य परिवहन उपकरणों के विषय में

घ. अन्य मशीनरी और उपकरणों के विषय में

ड. अन्य

VI **अन्य व्यावसायिक सेवाएं**

- विज्ञापन सेवाएं
- मार्केट रिसर्च और पब्लिक ओपिनियन पोलिंग सेवाएं
- प्रबंधन परामर्श सेवा
- प्रबंधन परामर्श से संबंधित सेवाएं
- तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं
- कृषि, आखेट और वाणिकी से संबंधित सेवाएं
- मछली पालन से संबंधित सेवाएं
- खनन से संबंधित सेवाएं
- उर्जा वितरण से संबंधित सेवाएं
- कर्मचारियों की प्लेसमेंट और आपूर्ति सेवाएं
- जांच एवं सुरक्षा
- संबंधित वैज्ञानिक एवं तकनीकी परामर्श सेवाएं
- उपकरणों (जिनमें जलपोत, वायुयान या अन्य परिवहन उपकरण शामिल नहीं हैं) का रखरखाव और मरम्मत
- इमारत सफाई सेवाएं
- फोटोग्राफिक सेवाएं
- पैकेजिंग सेवाएं
- मुद्रण, प्रकाशन
- कन्वेंशन सेवाएं
- अन्य

2. **संचार सेवाएं**

I **डाक सेवाएं**

II **कूरियर सेवाएं**

III दूर संचार सेवाएं

- ध्वनि टेलीफोन सेवाएं
- पैकेट स्विच आधारित डाटा संचार सेवाएं
- सर्किट स्विच आधारित डाटा संचार सेवाएं
- टैलेक्स सेवाएं/टेलीग्राफ सेवाएं
- फेसिमाइल सेवाएं
- पट्टे पर ली गई निजी सर्किट सेवाएं
- इलेक्ट्रॉनिक मेल
- ध्वनि मेल
- ऑनलाइन सूचना एवं डाटा बेस पुनर्प्रयोग (रिट्रीवल)
- इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई)
- उच्चतर/मूल्य संवर्धित फेसिमाइल सेवाएं, जिनमें भंडारण तथा अग्रसरण स्टोर तथा पुनर्प्रयोग शामिल हैं।
- कोड और प्रोटोकॉल रूपांतरण
- ऑनलाइन सूचना और/या डाटा प्रोसेसिंग (विनिमय प्रोसेसिंग सहित)
- अन्य

IV दृश्य-श्रव्य सेवाएं

- चलचित्र और वीडियो टेप उत्पादन तथा वितरण सेवाएं
- चलचित्र प्रोजेक्शन सेवाएं
- रेडियो और टेलीविजन सेवाएं
- रेडियो और टेलीविजन संचार सेवाएं
- साउंड रिकॉर्डिंग
- अन्य

V अन्य

3\. निर्माण तथा संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं

I इमारतों का सामान्य निर्माण कार्य

II सिविल इंजीनियरिंग के लिए सामान्य निर्माण कार्य

III इंस्टॉलेशन एवं असेम्बली कार्य

IV निर्माण समापन तथा फिनिशिंग कार्य

V अन्य

4. वितरण सेवाएं

I कमीशन एजेंट की सेवाएं

II थोक व्यापार सेवाएं

III खुदरा सेवाएं

IV फ्रेंचाइज़िंग

V अन्य

5. शैक्षणिक सेवाएं

I प्राथमिक शिक्षा सेवाएं

II माध्यमिक शिक्षा सेवाएं

III उच्च शिक्षा सेवाएं

IV वयस्क शिक्षा

V अन्य शिक्षा सेवाएं

6. पर्यावरणीय सेवाएं

I गंदे नाले की सफाई से जुड़ी सेवाएं

II कूड़ा निपटान सेवाएं

III स्वच्छता एवं ऐसी ही अन्य सेवाएं

IV अन्य

7. वित्तीय सेवाएं

I **बीमा तथा बीमा संबंधी सभी सेवाएं**

- जीवन, दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा सेवाएं
- ग़ैर-जीवन बीमा सेवाएं
- पुनर्बीमा सेवाएं
- बीमा सहायक सेवाएं (जिसमें दलाली तथा एजेंसी सेवाएं भी शामिल हैं)

II **बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाएं (बीमा के अतिरिक्त)**

- जनता से जमा तथा अन्य ऐसे अनुदानों को स्वीकार करना जिन्हें बाद में वापस चुकाया जा सकता है।
- तमाम तरह के ऋण, जिनमें उपभोक्ता ऋण, रेहन ऋण, व्यावसायिक विनिमय की फाइनेंसिंग आदि शामिल हैं।
- वित्तीय लीज़िंग

- सभी भुगतान तथा धन विनिमय सेवाएं
- जमानत और प्रतिभूतियां
- निम्नलिखित के लिए अपने खाते या ग्राहकों के खाते के लिए किसी एक्सचेंज में या ओवर दि काउंटर मार्केट में खरीद-फरोख़्त :
  - धन बाज़ार उपकरण (चैक, बिल, जमा प्रमाणपत्र आदि)
  - विदेशी मुद्रा
  - डेरिवेटिव उत्पाद, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी शामिल हैं।
  - विनिमय दर और ब्याज दर आदि।
  - हस्तांतरणीय प्रतिभूतियां
  - बुलियन सहित अन्य ऐसे साधन और वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके बारे में मोलभाव किया जा सकता है।
- सभी प्रकार की प्रतिभूतियों को जारी करने में सहभागिता तथा ऐसे निर्गम से संबंधित सेवाएं
- वित्त दलाली
- परिसंपत्ति प्रबंधन, जैसे नगद या पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के सामूहिक निवेश प्रबंधन, पेंशन फंड प्रबंधन तथा ट्रस्ट सेवाएं आदि
- प्रतिभूतियों, डेरिवेटिव उत्पादों, या/तथा अन्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए निपटान तथा क्लीयरिंग सेवाएं
- ऋण संदर्भ और विश्लेषण, निवेश एवं पोर्टफोलियो रिसर्च तथा परामर्श, अधिग्रहण तथा कॉर्पोरेट पुनर्गठन एवं रणनीति के विषय में परामर्श सहित अनुच्छेद 1बी, एमटीएन.टीएनसी/डब्ल्यू/50 में सूचीबद्ध सभी गतिविधियों के विषय में परामर्श तथा अन्य सहायक वित्तीय सेवाएं
- अन्य वित्तीय सेवाओं के प्रदाताओं द्वारा वित्तीय सूचनाओं का हस्तांतरण, वित्तीय डाटा प्रोसेसिंग तथा संबंधित सॉफ्टवेयर

III अन्य

8. स्वास्थ्य संबंधी तथा सामाजिक सेवाएं

I अस्पताल सेवाएं

II अन्य मानव स्वास्थ्य सेवाएं

III सामाजिक सेवाएं

IV अन्य

9. **पर्यटन तथा यातायात संबंधी सेवाएं**

I **होटल और रेस्टोरेंट (कैटरिंग सहित)**

II **ट्रेवल एजेंसियां और टूल ऑपरेटर सेवाएं**

III **टूरिस्ट गाइड सेवाएं**

IV **अन्य**

10. **मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीडा संबंधी सेवाएं (दृश्य-श्रव्य सेवाओं के अलावा)**

I **मनोरंजन सेवाएं (थियेटर, लाइव गायन और सर्कस सेवाएं)**

II **समाचार एजेंसी सेवाएं**

III **पुस्तकालय, ग्रंथागार, संग्रहालय एवं अन्य सांस्कृतिक सेवाएं**

IV **खेल तथा अन्य मनोरंजन सेवाएं**

V **अन्य**

11. **परिवहन सेवाएं**

I **नौ-परिवहन सेवाएं**

- सवारी यातायात
- माल ढुलाई
- कर्मी दल सहित पोतों को किराए पर लेना
- जलपोतों की मरम्मत एवं रखरखाव
- पुशिंग तथा टोईंग सेवाएं
- नौ-परिवहन के लिए सहायक सेवाएं

II **आंतरिक जलमार्ग परिवहन**

- सवारी यातायात
- माल ढुलाई
- कर्मी दल सहित पोतों को किराए पर लेना
- जलपोतों की मरम्मत एवं रखरखाव
- पुशिंग तथा टोईंग सेवाएं
- आंतरिक जलमार्ग यातायात के लिए सहायक सेवाएं

III **वायु यातायात सेवाएं**

- सवारी यातायात

- माल ढुलाई
- कर्मीदल सहित वायुयानों को किराए पर लेना
- वायुयानों की मरम्मत एवं रखरखाव
- वायु यातायात के लिए सहायक सेवाएं

IV अंतरिक्ष यात्रा

V रेल यातायात सेवाएं

- सवारी यातायात
- माल ढुलाई
- पुशिंग और टोईंग सर्विसेज़
- रेल यातायात उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव
- रेल यातायात सेवाओं के लिए सहायक सेवाएं

VI सड़क परिवहन सेवाएं

- सवारी यातायात
- माल ढुलाई
- व्यावसायिक वाहनों को किराए पर लेना
- सड़क यातायात उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव
- सड़क यातायात सेवाओं के लिए सहायक सेवाएं

VII पाईप लाईन यातायात

- ईंधनों का आवागमन
- अन्य सामानों का आवागमन

VIII परिवहन के सभी स्वरूपों से संबंधित सेवाएं

- कार्गो-हैंडलिंग सेवाएं
- भंडारण तथा वेयरहाउस सेवाएं
- माल यातायात एजेंसी सेवाएं
- अन्य

IX अन्य परिवहन सेवाएं

12. अन्य वे सेवाएं जिन्हें अन्यत्र सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

(स्रोत : गैट, 1991, सेवा क्षेत्र वर्गीकरण सूची, एमटीएन.जीएनएस/डब्ल्यू/120)

परिशिष्ट – ग

भारत में सेवाओं का उदारीकरण : कुछ उदाहरण

सार्वजनिक सेवाओं को वैश्वीकरण की व्यवस्था में एकीकृत करने के लिए उनका निजीकरण एक पूर्वशर्त है। भारत सरकार की आधिकारिक प्रस्थापना यह है कि सेवाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए आवश्यक निवेश निजी स्रोतों से हासिल किया जाना चाहिए। अब रेस्टोरेंट और होटल, थल एवं जल परिवहन के लिए सहायक सेवाओं, रेंटिंग और लीज़िंग के कुछ हिस्सों, सॉफ्टवेयर सहित व्यावसायिक सेवाओं, और स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं में विदेशी हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत तक छूट दे दी गई है। खनन सेवाओं, ग़ैरपरंपरागत उर्जा उत्पादन तथा वितरण, थल एवं जल परिवहन और भंडारण एवं वेयरहाउसिंग में 74 प्रतिशत तक विदेशी हिस्सेदारी को छूट दे दी गई है। विद्युत उत्पादन, संचार तथा वितरण में यह सीमा 100 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। दूरसंचार में विदेशी हिस्सेदारी 49 प्रतिशत, घरेलू एयरलाईनों में 40 प्रतिशत और बैंकिंग सेवाओं में 20 प्रतिशत तक रखी गई है। बीमा क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है।

गैट्स के तहत भारतीय अनुसूची में निम्नलिखित के विषय में विशिष्ट प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया गया है : व्यावसायिक सेवाएं, संचार, सिविल इंजीनियरिंग के लिए निर्माण कार्य, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाएं, और पर्यटन सेवाएं। 1998 की शुरुआत में भारत ने आधारभूत दूरसंचार सेवाओं में अपनी प्रतिबद्धताओं को और उदार बना दिया था।

भारत ने निम्नलिखित से संबंधित सेवाओं के विषय में अभी तक कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है : वितरण; शिक्षा; पर्यावरण; मनोरंजन, संस्कृति एवं खेल; परिवहन; तथा 'अन्य वे सेवाएं जिन्हें अन्यत्र सूचीबद्ध नहीं किया गया है'।

यहां हम उदारीकरण और निजीकरण के भारतीय अनुभवों का ब्यौरा दे रहे हैं।

ऊर्जा : उड़ीसा सरकार को 1996 में राज्य की विद्युत प्रणाली का पुनर्गठन करने के लिए विश्व बैंक से 35 करोड़ अमरीकी डॉलर का ऋण मिला था। इस पुनर्गठन के फलस्वरूप 1999 में अमरीका की कंपनी एईएस कॉर्पोरेशन ने उड़ीसा के राज्य विद्युत बोर्ड का 1 करोड़ अमरीकी डॉलर की कीमत पर अधिग्रहण कर लिया। इसके सिर्फ दो माह बाद राज्य में आए भयानक चक्रवात से हुए महाविनाश में एईएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मांग रखी कि राज्य सरकार मरम्मत लागतों के मद में उनकी कंपनी को 6 करोड़ अमरीकी डॉलर का भुगतान करे। कंपनी ने यह भी धमकी दे दी कि यदि सरकार इस राशि का भुगतान नहीं करती है तो कंपनी

बिजली की कीमत में तीन गुना वृद्धि कर देगी। इसके बाद एईएस राज्य से अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर जा चुकी है। इसके बाद सरकार ने कानूनगो समिति का गठन किया जिसने पाया कि निजीकरण के बाद बिजली की स्थिति सचमुच खराब हुई है। इतना ही नहीं, इस दौरान भारी-भरकम परामर्श शुल्क का भी भुगतान किया गया था जिसमें से एक बड़ा हिस्सा संभवतः उपभोक्ताओं की जेब से वसूल किया जाएगा।

आईएमएफ और विश्व बैंक राज्य विद्युत बोर्डों का निजीकरण करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों पर भारी दबाव डाल रहे हैं। उनका दावा है कि ये बोर्ड हर साल बिजली पर 25,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दे रहे हैं। अब यदि निजीकरण होता है तो शहरी उपभोक्ताओं को वर्तमान दरों के मुकाबले तीन से चार गुना तक और किसानों को दस गुना तक बढ़ी हुई कीमत अदा करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड अपने निजी संयंत्र से मुम्बई के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदता है जबकि एनरॉन एक यूनिट बिजली के लिए 8 रुपए की कीमत वसूल करता है। बिजली की इस भारी कीमत के फलस्वरूप ही एनरॉन को दाभोल का अपना ऊर्जा संयंत्र बंद करना पड़ा। एनरॉन परियोजना के घटनाक्रम ने निजी क्षेत्र की क्षमता के विषय में बढ़ा-चढ़ा कर किए गए दावों की कलई खोल दी। जिन कंपनियों ने वितरण प्रणाली अपने हाथों में ली वह भी पहुंच में वृद्धि, लागतों की वसूली और संचार तथा वितरण घाटों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पाईं जबकि दूसरी तरफ बिजली की कीमत भी लगातार बढ़ती रहीं।

पानी : जल क्षेत्र के निजीकरण के लिए जो बहाने बनाए जा रहे हैं वह भी वही हैं जो विद्युत क्षेत्र के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके निजीकरण की प्रक्रिया भी वैसी ही है। निजीकरण के पैकेज में निजी कंपनियों को सुनिश्चित न्यूनतम वसूली, सरकार या अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा भुगतान की गारंटी, क्षेत्र विशेष में आपूर्ति के एकल अधिकार आदि शामिल हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।

- नई दिल्ली की जलापूर्ति व्यवस्था को विवेंडी के हाथों में सौंपा जा रहा है। इसी कंपनी को चेन्नई की जल व्यवस्था के प्रबंधन का ठेका भी दिया गया है। ग्लोबल वॉटर रिपोर्ट के अनुसार विवेंडी को वर्ष 2000 में कलकत्ता में भी पेयजल प्रबंधन के लिए 72 लाख अमरीकी डॉलर का ठेका मिला था।
- बंगलौर वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने सितंबर 2000 में विवेंडी और नार्थम्ब्रेन वॉटर ग्रुप को शहर के 20 लाख लोगों को पानी मुहैया कराने से संबंधित नमूना योजनाओं के संचालन का ठेका देने का प्रस्ताव रखा था। यदि यह परियोजना सफल होती दिखाई दी तो उसके बाद इन कंपनियों को 30 साल का अनुबंध मिल जाएगा। यह परियोजनाएं

एयूएसएआईडी कार्यक्रम के तहत किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। शहरों की समूची जलापूर्ति व्यवस्था के निजीकरण की इन योजनाओं को ऑस्ट्रेलियाई सरकार की पूरी सहायता मिल रही है।

- स्वेज़ की सहायक कंपनी डेग्रीमोंट को नई दिल्ली के 30 लाख लोगों के लिए एक पेयजल व्यवस्था का डिजाइन तैयार करने, उसका निर्माण करने और उसे चलाने के लिए 5 करोड़ यूरो का ठेका दिया गया है। इस परियोजना के लिए पानी टिहरी बांध से आएगा।

- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान के 30 शहरों में उनकी नगरपालिका जलापूर्ति व्यवस्था के निजीकरण की तैयारी की जा रही है।

- रसायन और कृषि क्षेत्र की मोन्सांटो नामक कंपनी संयुक्त उद्यमों और विभिन्न कंपनियों में हिस्सेदारी के ज़रिए जनसंसाधनों और संबंधित प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण करती जा रही है।

- भारत के 8 से 10 अरब रुपए के बोतलबंद मिनरल वॉटर बाज़ार पर कोका कोला, पेप्सी, नेस्ले और डेनोन जैसी कंपनियां नज़र गड़ाए बैठी हैं। कोका कोला का किनले और पेप्सी का एक्वाफीना ब्रांड 41 प्रतिशत बाज़ार पर पहले ही अपना क़ब्ज़ा जमा चुके हैं।

पीस

एफ-93, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016